

एन एस टी एफ डी सी



चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट
FOURTEENTH ANNUAL REPORT

2014-15



त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की मियादी ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त श्री स्वप्न देबबर्मा, बघार घाट, दूरदर्शन कालोनी के पास, अगरतला त्रिपुरा की स्टेशनरी दुकान ।

Stationary shop of Shri Swapan Debbarma, Badhar Ghat, Near Doordarshan Colony, Agartala, Tripura, assisted under Term Loan Scheme of NSTFDC through Tripura Scheduled Tribes Co-op. Development Corporation Ltd.



कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्त पोषित गंगा कल्याण योजना का एनएसटीएफडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संज्ञीय दौरा ।

Field visit of CMD NSTFDC to Gangakalyan Yojana financed by NSTFDC through Karnataka Maharishi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Ltd.



असम ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की लघु ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त रूपज्योति स्व सहायता समूह, गांव, करैंग चपोरी, जिला धेमाजी, असम के सदस्यगण ।

Members of Rupjyoti Self Help Group, Village – Kareng Chapori, Distt. Dhemaji, Assam, assisted under Micro Credit Scheme of NSTFDC through Assam Gramin Vikash Bank



छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की मियादी ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त श्री बंधु सिंह सिंदर, गांव, पैथाआमा, जिला-जेशपुर, छत्तीसगढ़ का लघु व्यवसाय ।

Small business of Shri Bandhu Singh Sidar, Villillage , Petha Aama, Distt. Jashpur, Chhattisgarh, assisted under Term Loan of NSTFDC through Chhattisgarh Rajya Antyavasayee Sahkari Vitta Aivam Vikas Nigam

चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15



नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम-जनजातीय कार्य मंत्रालय)
पंजीकृत कार्यालय: एनबीसीसी टावर, प्लॉट नं. 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
टेलीफोन नं. : 26712519, 26177177 फैक्स नं. : 26712574
वेबसाइट : www.nstfdc.nic.in, ईमेल : nstfdc@bol.net.in

► विषय-सूची

► सामान्य सूचना	1
► निदेशक मंडल	2
► वार्षिक आम बैठक के आयोजन का नोटिस	3
► एनएसटीएफडीसी की निगमित विवरणिका	7
► निदेशकों की रिपोर्ट	11
► तुलन पत्र, आय और व्यय का लेखा, लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां	46
► सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर निगम का स्पष्टीकरण/टिप्पणियां	74
► भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा एनएसटीएफडीसी के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण	77
► एनएसटीएफडीसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की सूची	78



▶ सामान्य सूचना

पंजीकृत कार्यालय	नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन एन.बी.सी.सी.टावर, प्लॉट नं.-15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066 दूरभाष संख्या- 26712519,26177177 फैक्स-26712574 वेबसाईट - www.nstfdc.nic.in ईमेल - nstfdc@bol.net.in
सांविधिक लेखा परीक्षक	मैसर्स पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बी- 132, आनंद विहार दिल्ली-110 092
प्रधान बैंकर्स	(i) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (ii) सिंडिकेट बैंक, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली (iii) विजया बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली (iv) सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, संसद मार्ग, नई दिल्ली (v) केनरा बैंक, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
आंचलिक कार्यालय	(i) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, चौथा तल, दामोदरम संजीवैया समक्षेमा भवन, मासब टैंक, हैदराबाद-500 028, आंध्र प्रदेश टेलीफैक्स- 040-23396088 (ii) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, आरसीसी बिल्डिंग, प्रथम तल, (पुल के पास)हेंगराबाड़ी रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781 005, असम टेलीफैक्स- 0361-2232724 (iii) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दूसरा तल, राजीव गांधी भवन परिसर-2, 35-श्यामला हिल्स, भोपाल-462 002, मध्य प्रदेश टेलीफैक्स-0755-2660456 (iv) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, प्लॉट नं.396, प्रथम तल, गैराज चाक, राजारानी नगर, ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर-751 002, ओडिशा टेलीफोन-0674-2342132, फैक्स-0674-2432107



निदेशक मंडल

(वार्षिक आम बैठक की तिथि को वास्तविक संख्या)

01

श्री रमेश कुमार जी., आईएएस

(डीआईएन:06991796)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन

02

श्री मनोज कुमार पिंगुआ, आईएएस

(डीआईएन:01732177)

संयुक्त सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

03

सुश्री सरिता मित्तल,

(डीआईएन:00171343)

संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,

जनजातीय कार्य मंत्रालय

04

श्री सुधीर कुमार गुलैया,

(डीआईएन:03211719)

कार्यकारी निदेशक,

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड)

05

श्री जी.एस.हयंकी,

(डीआईएन:06968702)

उप महा प्रबंधक (ओडिट),

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

06

श्री दिनेश बी.परमार,

(डीआईएन:07202037)

कार्यकारी निदेशक,

गुजरात जनजातीय विकास निगम



सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल शेड्यूलड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 18.09.2015, शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे, सम्मेलन कक्ष (कमरा नं. 734-735) शास्त्री भवन, डॉ राजेन्द्र प्रशाद रोड, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य-संचालन के लिए आयोजित की गई:-

सामान्य कार्य:

निम्नलिखित प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए -

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं आय और व्यय लेखा तथा लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां ।
2. वर्ष 2014-15 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन संबंधी निदेशकों की रिपोर्ट ।
3. वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ।
4. वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

विशेष कार्य:-

1. कंपनी के प्राधिकृत अंश पूंजी को 500 करोड़ रुपए से 750 करोड़ रुपए करने के बारे में संगम ज्ञापन, पूंजी खंड के परिवर्तन को अनुमोदित करना, संशोधन के साथ अथवा के बिना, यदि कोई हो, निम्नलिखित विशेष संकल्प के रूप में संकल्प पारित करना:-

संकल्प किया जाता है कि संगम ज्ञापन के खंड 8 में एतद्द्वारा निम्न परिवर्तन किया जाता है:-

संगम ज्ञापन का खंड-8

कंपनी की प्राधिकृत अंश पूंजी 750 करोड़ रुपए (सात सौ पचास करोड़ रुपए) होगी, जो प्रत्येक 1000/-रुपए (एक हजार रुपए) के 75,00,000 (पचहत्तर लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के लिए एवं कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी कार्य करने हेतु एतद्द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कंपनी सचिव को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक रूप से प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कंपनी के प्राधिकृत अंश पूंजी को 500 करोड़ रुपए से 750 करोड़ रुपए करने के बारे में संगम अनुच्छेद, पूंजी खंड के परिवर्तन को अनुमोदित करना, संशोधन के साथ अथवा के बिना, यदि कोई हो, निम्नलिखित विशेष संकल्प के रूप में संकल्प पारित किया जाता है:-

संकल्प किया जाता है कि संगम अनुच्छेद के खंड 6में एतद्द्वारा निम्न परिवर्तन किया जाता है:

संगम अनुच्छेद का खंड 6

कंपनी का प्राधिकृत अंश पूंजी 750 करोड़ रुपए (सात सौ पचास करोड़ रुपए) होगी, जो प्रत्येक 1000/-रुपए (एक हजार रुपए) के 75,00,000 (पचहत्तर लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के लिए एवं कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी कार्य करने के लिए एतद्द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कंपनी सचिव को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक रूप से प्राधिकृत किया जाता है ।



विशेष कार्य हेतु व्याख्यात्मक विवरण

विशेष कार्य का मद संख्या-1:

कंपनी के प्राधिकृत अंश पूंजी को 500 करोड़ रुपए से 750 करोड़ रुपए (सात सौ पचास करोड़ रुपए) करने के बारे में संगम ज्ञापन, पूंजी खंड में परिवर्तन :

एनएसटीएफडीसी का प्राधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए है । दिनांक 09.10.2013 को भारत सरकार की व्यय वित्त समिति की हुई बैठक में एनएसटीएफडीसी की प्राधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की गई । सरकार का अनुमोदन दिनांक 10.07.2015 के पत्र संख्या- 20025/9/2012-एसजी-11 के तहत प्राप्त हुआ ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए, संगम ज्ञापन के पूंजी खंड में परिवर्तन शेयर होल्डरों द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदन के द्वारा आवश्यक है ।

अतएव, विशेष संकल्प पारित करने के लिए शेयर होल्डरों के अनुमोदन हेतु इस मामले को प्रस्तुत किया गया ।

विशेष कार्य का मद संख्या-2:

कंपनी के प्राधिकृत अंश पूंजी को 500 करोड़ रुपए से 750 करोड़ रुपए (सात सौ पचास करोड़ रुपए) करने के बारे में संगम अनुच्छेद पूंजी खंड में परिवर्तन :

प्राधिकृत अंश पूंजी के बारे में संगम अनुच्छेद में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संगम अनुच्छेद के खंड-6 में संशोधन अपेक्षित है ।

अतएव, विशेष संकल्प पारित करने के लिए शेयर धारकों के अनुमोदन हेतु इस मामले को प्रस्तुत किया गया ।

कोई भी निदेशक उपरोक्त मामले में इच्छुक नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.

(रमेश कुमार जी.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन-06991796)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.08.2015

नोट: बैठक में भाग लेने के लिए कोई सदस्य अपने स्थान पर बैठक में उपस्थिति दर्ज करने तथा वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में कंपनी के अन्य सदस्य की नियुक्ति करने के पात्र हैं । (परोक्षी प्रपत्र संलग्न है)



सभी सदस्य /शेयरधारक:

- (i) सचिव, भारत सरकार,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
(भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने वाला
सदस्य)
- (ii) श्री रूपक चौधरी,
उप सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय,
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110 066
(सरकारी हैसियत से सदस्य)

सांविधिक लेखा परीक्षक:

- (i) मैसर्स पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
बी- 132, आनंद विहार,
नई दिल्ली-110 092

एनएसटीएफडीसी के सभी निदेशकगण

- (i) श्री रमेश कुमार जी.,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस
एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन,
एनबीसीसी टावर, प्लाट नं. 15
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066
- (ii) श्री मनोज कुमार पिंगुआ,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
- (iii) सुश्री सरिता मित्तल,
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
कमरा नं.-312, ए-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
- (iv) श्री सुधीर कुमार गुलैया,
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास
महासंघ मर्यादित, (ट्राइफेड)
एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3, सिरि
इंस्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110016
- (v) श्री जी.एस.हयंकी,
उप महाप्रबंधक (ओडिट),
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड,
एससीओ-119-120
सेक्टर-43 बी ,चंडीगढ़-160022
- (vi) श्री दिनेश बी.परमार,
कार्यकारी निदेशक,
गुजरात जनजातीय विकास निगम,
भू-तल, बिरसा मुंडा भवन,
सेक्टर-ए-10,
गांधी नगर-382010



परोक्षी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) एवं कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 19 (3) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसरण में]

नेशनल शेडयूल्ड ट्राईब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी)
सीआईएन-यू74899डीएल2001एनपीएल110356
पंजीकृत कार्यालय-एनबीसीसी टावर, प्लॉट नं.-15, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

सदस्य(यों) के नाम :

पंजीकृत पता :

ई-मेल आई डी :

फोलियो संख्या :

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के ----- शेयरों का सदस्य होने के कारण एतद्वारा नियुक्त करता/करते हूँ/हैं ।

1. नाम:.....

पता:.....

ई-मेल आई डी:.....

हस्ताक्षर:..... अथवा उनके स्थान पर

2. नाम:.....

पता:.....

ई-मेल आई डी:.....

हस्ताक्षर:.....

मेरे एवं मेरी ओर से मेरे परोक्षी के रूप में दिनांक को में.....को आयोजित होने वाली चौदहवीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और वोट देने हेतु अथवा उसके स्थगित होने पर ऐसे संकल्पों के संबंध में संकल्प निम्न है:-

संकल्प संख्या

1.

2.

3.

4.

दिनांक..... 2015 को हस्ताक्षरित
शेयरधारक के हस्ताक्षर

रसीदी टिकट लगाएं

▶ एनएसटीएफडीसी की निगमित विवरणिका

1. संगठन : नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन केवल अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु बनाया गया शीर्ष संगठन है। इस निगम को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, आई डी बी आई, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं अनुसूचित जनजाति के विशिष्ट व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में गठित निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम अनुसूचित जनजातियों को चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनकी आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. लक्ष्य/ उद्देश्य एवं गतिविधियां :

क. दृष्टिकोण : अनुसूचित जनजातियों का सतत आधार पर सामाजिक आर्थिक विकास।

ख. उद्देश्य : जनजातीय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्थान है। निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- ▶ अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार उत्पन्न हो और उनका आय स्तर बढ़ाया जा सके।

- ▶ संस्थागत एवं कार्यावस्था दोनों प्रकार के प्रशिक्षण से अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया और उनके कौशल को उन्नत करना।

- ▶ वर्तमान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य विकासात्मक एजेंसियों को अधिक प्रभावशाली बनाना।

- ▶ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को परियोजना तैयार करने, एनएसटीएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने में सहायता करना।

- ▶ एनएसटीएफडीसी सहायता प्रदत्त योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ उनके प्रभाव का आंकलन / अनुवीक्षण करना।

ग. गतिविधियाँ

- ▶ एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता फैलाना।

- ▶ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के अधिकारियों के साथ-साथ लाभार्थियों के कुशलता विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करना।

- ▶ पात्र अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु केन्द्र/



राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यवहार्य आय जनित योजनाओं/परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त उपलब्ध कराना ।

- ▶ आदिवासी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सहायता देना ।

3. **अंश पूंजी :** निगम की दिनांक 31.03.2015 तक प्राधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 445.99 करोड़ रुपए है ।
4. **पात्रता मानदण्ड :** एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता लेने के लिए निम्न पात्रता मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं :-

क. एकल/ स्व सहायता समूह :

- ▶ सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने चाहिए ।
- ▶ आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय योजना आयोग के मानदंडों के आधार पर गरीबी रेखा आय सीमा (डीपीएल) से दुगुनी, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 81,000/- रुपए एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1,04,000/- रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. सहकारी समितियां: कम से कम 80% या ज्यादा सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए एवं आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा सीमा से दुगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता में परिवर्तन के मामले में वह सहकारी सोसायटी यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम नहीं है।

5. **योजनाएं -** निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय जनित गतिविधियों एवं विपणन समर्थन सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

क. आयजनित गतिविधियों के अंतर्गत योजनाएं :

- ▶ **मियादी ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी 25.00 लाख रुपए प्रति यूनिट तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण उपलब्ध कराता है। योजना के अन्तर्गत एनएसटीएफडीसी परियोजना लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है एवं शेष निधि की आवश्यकता सब्सिडी/ प्रवर्तक अंशदान/ मार्जिन मनी के द्वारा पूरी की जाती है।
- ▶ **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना है। एनएसटीएफडीसी 1,00,000/- रुपए तक की लागत वाली प्रति एकक योजना के लिए 90% तक मियादी ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से 4% वार्षिक की दर से रियायती ब्याज पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
- ▶ **स्व सहायता समूहों हेतु लघु ऋण योजना (एमसीएफ):** यह एक विशेष योजना है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को स्व-सहायता समूहों के लिए उनकी लघु ऋण जरूरतों को पूरा करती है। इस योजना के अंतर्गत निगम प्रति स्व-सहायता समूह 5.00 लाख रुपए तथा प्रति सदस्य 50,000/- रुपए तक ऋण उपलब्ध कराता है।
- ▶ **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एसआरवाई):** भारत में पी.एच.डी सहित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय को वहन करने हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत निगम प्रत्येक पात्र परिवार को 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख



- रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है ।
- ▶ **आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना:** आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधीन आदिवासी वनवासियों को दिए गए भूमि अधिकार के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, मार्केट लिंकेज बनाने इत्यादि में सहायता देना है । एनएसटीएफडीसी एक लाख रुपए तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक ऋण उपलब्ध करता है जिस पर लाभार्थी से 6% वार्षिक ब्याज प्रभारित किया जाता है
 - ▶ **ट्राईफेड के पैनल में उपलब्ध आदिवासी कारीगरों को सहायता:** योजना के अंतर्गत, एनएसटीएफडीसी ट्राईफेड के पैनल में उपलब्ध आदिवासी कारीगरों को परियोजना संबंधी परिसम्पत्तियों की खरीद हेतु रियायती वित्तीय सहायता एवं कार्य पूंजी उपलब्ध करता है । इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 50000/- रुपए तक एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं युक्त प्रति स्व सहायता समूह/ सहकारी सोसायटियों हेतु 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता 4% तथा अन्यो के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर दी जाती है ।
 - ▶ **गैर सरकारी संगठनों/स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियों हेतु योजना:** यह एक नई योजना है, जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों / स्था. स्वै.एजेंसियों के माध्यम से प्रति स्व सहायता समूह हेतु 5.00 लाख रुपए तथा प्रति सदस्य 50,000/- रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्व सहायता समूहों के सदस्यों से 12% ब्याज दर प्रभारणीय है, जिसके बारे में समय पर भुगतान करने पर वे 4% ब्याज प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रभावी ब्याज दर 8% हो जाता है । गैर सरकारी संगठनों को ऋण राशि की सीमा तक बैंक गारंटी देना होता है ।
- ख. विपणन समर्थन सहायता :** इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लघु वन उत्पादों एवं अन्य जनजातीय उत्पादों के प्रापण एवं विपणन कार्यकलापों को चलाने में लगे हुए एजेंसियों की जरूरी कार्य-पूंजी आवश्यकता को वहन करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।
- ग. एनएसटीएफडीसी द्वारा अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है :**
- ▶ **कौशल एवं उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए :** पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल एवं/ उद्यमीय विकास हेतु वित्तीय सहायता अनुदान के रुप में उपलब्ध कराता है ताकि वह स्व-रोजगार/रोजगार हेतु अवसर उत्पन्न कर सकें ।
 - ▶ **राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के डाटाबेस के कम्प्यूटरीकरण हेतु:** एनएसटीएफडीसी प्रति राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को उनके डाटाबेस के कम्प्यूटरीकरण हेतु 2.00 लाख रुपए तक की राशि अनुदान के रुप में एक बारगी सहायता भी प्रदान करता है।



एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं हेतु संक्षिप्त ऋण मानक इस प्रकार हैं:

क्रम सं०	सहायता के प्रकार	तक यूनिट लागत	तक एनएसटीएफडीसी का भाग	प्रति वर्ष भुगतान योग्य ब्याज	
				रा.चै.ए. द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1	मियादी ऋण योजना	25.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(5.00 लाख रु. प्रति यूनिट तक एनएसटीएफडीसी भाग के रूप में)	
				5%	8%
				एनएसटीएफडीसी के अंश के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए तक	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी अंश के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से अधिक) (उक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं)	
2	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	100,000/- रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3	स्व सहायता समूहों हेतु लघु ऋण योजना	50,000/-रु. प्रति सदस्य एवं 5 लाख रुपए प्रति स्व.स.स	100%	3%	6% (स्व.स.स द्वारा भुगतान योग्य)
4	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना	5 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
5	आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना	1 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
6	ट्राईफेड के पैनेल में उपलब्ध अनुसूचित जनजातियों के आपूर्तिकर्ताओं/कारीगरों हेतु योजना	प्रति सदस्य 50,000/-रु. एवं प्रति स्व स.स.5.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, स्व.सहा.समूह एवं सहकारिताओं हेतु	
				2%	4%
				प्रत्येक अनुसूचित जनजाति की महिला हेतु	
7	गैर सरकारी संगठनों/स्थापित स्वै. एजेंसियों के लिए योजना	प्रत्येक सदस्य हेतु 50,000/- रुपए तथा प्रति स्व सहायता समूह हेतु 5 लाख रुपए	100%	7%	12%
				ऋण के समय पर पुर्न भुगतान करने पर लाभार्थियों को 4% की दर से ब्याज प्रोत्साहन	



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम की चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. नई पहल:

क. ऋण सीमा की वृद्धि: इस वर्ष के दौरान, आपके निगम ने आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ऋण देने की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और मियादी ऋण के अंतर्गत परियोजना लागत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है।

ख. गैर सरकारी संगठनों/स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्त पोषण के लिए नई योजनाएं: वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों जैसे डेयरी, मुर्गीपालन, पॉलीहाउस, लघु वन उत्पाद, सुअरपालन एवं खेती इत्यादि सेवा और कार्यपूजी की आवश्यकता सहित उद्योग क्षेत्र गतिविधियों के लिए आय जनित गतिविधियों को वित्त पोषित करने हेतु योजनाएं तैयार की गई हैं। यह योजना 2015-16 के दौरान चालू की जाएगी।

ग. अंतरीय ऋण: एनएसटीएफडीसी उन अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा के दुगुना से अधिक नहीं है। देश के ग्रामीण इलाकों एवं शहरी इलाकों के अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए व्यापार, व्यवसाय एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को स्थापित करने तथा आगे बढ़ाने हेतु जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण,

व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों की पहचान करने के दृष्टिकोण से गरीबी सीमा रेखा के दुगुने से अधिक आय वाले अनुसूचित जनजातियों को उच्च ब्याज दर पर ऋण देने के लिए दिनांक 10.02.2015 को संपन्न हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया एवं सरकार के अनुमोदन की शर्त पर इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया। सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्ताव दिनांक 03.03.2015 को मंत्रालय में भेजा गया है।

घ. 200 महिला हथकरघा कारीगरों का कौशल उन्नयन और आर्थिक सशक्तिकरण: वर्ष के दौरान, निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की एक पहल के रूप में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के 200 महिला हथकरघा कारीगरों के कौशल उन्नयन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था 1.50 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी (आईआईई) के माध्यम से की जाएगी। प्रशिक्षण के उपरांत एनएसटीएफडीसी, एससीए के माध्यम से जरूरतमंद प्रशिक्षित आदिवासी महिलाओं को रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

ड. वैकल्पिक चैनल के साथ समझौता: बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, निगम ने बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (पश्चिमी बंगाल), अरुणाचल प्रदेश राज्य कॉपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, नाहरलागुण एवं स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ लिमिटेड (तेलंगाना) के साथ रिफाइनेंस समझौता किया है।



2. निष्पादन झलकियां :

वर्ष 2014-15 के दौरान, आपका निगम, मंजूरी और संवितरण के संबंध में प्रारंभ से लेकर प्राप्त कार्य-निष्पादन के मानकों को पार कर गया ।

क. मंजूरी: पिछले वर्ष में 208.25 करोड़ रुपए की तुलना में निगम ने इस वर्ष के दौरान 229.75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान की मंजूरी, प्रारंभ से लेकर अब तक सबसे अधिक है तथा इससे 34,098 अनुसूचित जनजातियों को लाभ होगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों को मंजूरी काल्पनिक आबंटन से अधिक रहा ।

ख. संवितरण : इस वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने 135.70 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 154.97 करोड़ रुपए की राशि जारी की, जो लक्ष्यसे 14.2% अधिक है और पिछले वर्ष की उपलब्धि की तुलना में 9.64% अधिक है । इसमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत 11,616 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 23.66 करोड़ रुपए की जारी की गई राशि भी शामिल है । उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए संवितरण सरकार के 10% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले कुल संवितरण का 53% से अधिक रहा । इस कुल संवितरण से 29,655 अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा, जिनमें से 18486 महिलाएं हैं । चालू वित्त वर्ष के दौरान संवितरण प्रारंभ से अब तक का यह उच्चतम संवितरण है ।

इस वर्ष के दौरान यह नोट करना उचित है कि निगम ने वैकल्पिक चैनलों को पिछले वर्ष के 33.55 करोड़ रुपए की तुलना में 82% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज करते हुए 61.37 करोड़ रुपए वितरित किए ।

ग. मियादी ऋण: समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके निगम ने 171.83 करोड़ रुपए के एनएसटीएफडीसी शेयर को शामिल करते हुए मियादी ऋण के अंतर्गत 20,391 लाभार्थियों के लिए 97 योजनाएं मंजूर की । वर्ष के दौरान, आपके निगम ने इस योजना के अंतर्गत 14,833 लाभार्थियों को 125.18 करोड़ रुपए संवितरित किए ।



छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त श्रीमती फिल्मिना भगत, मुदा बहला, तहसील-पठालगांव, जिला - जेशपुर, छत्तीसगढ़ का किराना स्टोर ।

घ. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना : यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई एक विशेष योजना है। इस वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 2.81 करोड़ रुपए का एनएसटीएफडीसी शेयर शामिल करते हुए 08 योजनाओं को मंजूरी दी तथा 11,616 महिला लाभार्थियों की सहायता के लिए 23.66 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई ।



गुजरात आदिवासी विकास निगम के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त श्रीमती सुमित्राबेन सुभाषबाई गमित, गांव पिपलकुआं, तालुक-सोनगढ़, जिला-तापी, गुजरात की डेयरी इकाई ।

ड. लघु ऋण योजना : इस योजना के अन्तर्गत, निगम स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन करना इसकी मुख्य विशेषता है। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 12,993 लाभार्थियों के लिए 54.59 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी जबकि 4.80 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई।

च. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना: यह भारत में पीएच.डी. सहित व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के तहत शिक्षा ग्रहण करने के लिए पात्र उम्मीदवारों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत में पीएच.डी. सहित व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए निगम 05 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, की ओर से विलम्बन अवधि, जो पाठ्यक्रम अवधि तथा 01 वर्ष या रोजगार प्राप्त करने के छह महीने बाद, जो भी पहले हो, के लिए ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत आपके निगम ने 151 विद्यार्थियों को 1.33 करोड़ रुपए संवितरित किए।

छ. कौशल एवं उद्यमीय विकास कार्यक्रम : आपका निगम अनुसूचित जनजातियों को उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने हेतु अनुदान उपलब्ध कराता है। योजना के अंतर्गत, वजीफा सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरा खर्च आपका निगम अनुदान के रूप में उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 10000 लाभार्थियों के कौशल एवं उद्यमीय विकास कार्यक्रम हेतु 96.70 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया।

ज. वसूली: वर्ष के दौरान, निगम ने राज्य

चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ समय पर देय राशि के भुगतान हेतु सख्ती अपनाई। जिसके परिणामस्वरूप, निगम ने 92.45 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 113.65 करोड़ रुपए की वसूली की, जो इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 22.66% ज्यादा है। वर्तमान मांग की अपेक्षा देय राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली 60.59% है और दिनांक 30.03.2014 को अतिदेय राशि की अपेक्षा 29.26% है।

झ. धन का उपयोग : दिनांक 31.03.2015 के अनुसार चैनेलाइजिंग एजेंसियों के द्वारा निधियों का संचयी उपयोग पिछले वर्ष 87.09% के मुकाबले 87.42% है।

ञ. इकाईयों का निरीक्षण: इस वर्ष के दौरान समझौता ज्ञापन के लक्ष्य 2600 इकाईयों के मुकाबले 2887 इकाईयों का निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पश्चिम



ओडिशा में एक दौरे के दौरान आम उत्पादक समूह के साथ बातचीत करते हुए एनएसटीएफडीसी के अधिकारीगण।

बंगाल राज्यों में किए गए। आंतरिक निरीक्षण द्वारा एक बार पुनः अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों पर एनएसटीएफडीसी की सहायता के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 90.82% लाभार्थियों ने उसी उद्देश्य के लिए सहायता राशि का उपयोग किया और आय एवं अन्य मानकों में 96.02% की वृद्धि दर्ज हुई।



त. समझौता ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में एनएसटीएफडीसी की श्रेणी : वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निगम की समझौता ज्ञापन

रेटिंग (एमओयू) को "बहुत अच्छा" के रूप में प्रक्षेपित किया गया।

समझौता ज्ञापन लक्ष्य बनाम उपलब्धियाँ

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
(i) ऋण मंजूरी (एनएसटीएफडीसी भाग के रूप में) राशि	175.00	203.43	180.00	208.25	190.00	229.75
(ii) संवितरण- राशि	118.00	132.78	122.00	141.35	135.70	154.97
(iii) लाभार्थियों की संख्या	36000	49463	38000	253136	53000	29655
(iv) देयों की वसूली	49.70 [^]	80.51	66.90 [^]	145.87	92.45 [^]	113.65
(v) एककों का अनुवीक्षण/ निरीक्षण- लाभार्थियों की संख्या	1980 [^]	3298	2400 [^]	2890	2600	2887

* एनएसटीएफडीसी द्वारा निर्धारित आन्तरिक लक्ष्य ।

[^] समझौता ज्ञापन के अनुसार, ये पैरामीटर प्रतिशत के रूप में हैं ।

थ. प्रारंभ से कार्य निष्पादन एक नजर में: वर्षवार लक्ष्य और मंजूरीयों का विवरण, क्षेत्रवार संचयी मंजूरी, वर्षवार संवितरित धनराशि का विवरण, वर्षवार संचयी वसूली का प्रतिशत, वर्ष के दौरान संवितरण के संबंध में शीर्ष पांच राज्यों का उल्लेख परिशिष्ट - I में दिया गया है ।

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश में अन्य गतिविधियाँ:

क. वनज: जनजातीय कार्य मंत्रालय के निदेशानुसार एनएसटीएफडीसी ने फरवरी, 2015 में ट्राईफेड के साथ नई दिल्ली

में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव "वनज" का आयोजन किया ।

ख. ऋण गारंटी कोष: सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय के निदेशानुसार वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए एनएसटीएफडीसी ने ऋण गारंटी कोष की स्थापना करने के लिए प्रारंभिक कार्य किया है । ऋण गारंटी कोष योजना मसौदा और ट्रस्ट डीड का कार्य पूरा कर लिया गया है और दिनांक 24.03.2015 को जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक ईएफसी ज्ञापन परिचालन हेतु भेज दिया गया है ।

4. वित्तीय परिणाम:

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2014-15	2013-14
परिचालन हेतु राजस्व	15.37	15.13
अन्य आय	16.60	12.30
कुल आय	31.97	27.43
कर्मचारियों के हित में व्यय	6.13	5.82
मूल्यहास	0.38	0.30
अन्य व्यय	1.53*	1.23
संदिग्ध ऋण और ब्याज हेतु भत्ते	2.50	2.33
कुल व्यय	10.54	9.68
पूर्व आवधिक समायोजन से पहले आय की अधिकता और विशेष और असाधारण मदें	21.43	17.75
पूर्व अवधि के व्यय/(आय) (शुद्ध)	0.01	(0.004)
असाधारण मदें	0.67	0.62
अवधि के लिए व्यय पर आय की अधिकता	22.09	18.37
साधारण रिजर्व हेतु अंतरण	19.88	16.54
विशेष रिजर्व हेतु अंतरण	2.21	1.84
प्रति इक्विटी भाग पर अर्जन		
मूल मिश्रित	52.71	48.01
	51.93	47.67

*सीएसआर प्रावधान पर 23,08,794/-रुपए सहित ।

5. पूंजी निवेश :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निगम को इक्विटी के रूप में 41 करोड़ रुपए जारी की है । तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 4,10,000 शेयर जारी किए जाने के माध्यम से निगम की प्रदत्त अंश पूंजी में 41 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । दिनांक 31.03.2015 को प्रदत्त अंश पूंजी 445.9996 करोड़ रुपए है ।

6. रिजर्व में अंतरण:

समीक्षा अवधि के दौरान व्यय की तुलना में आय का आधिक्य 90% होने के कारण 19.88 करोड़ रुपए की राशि को निगम के सामान्य रिजर्व में तथा व्यय की तुलना में आय का आधिक्य 10% होने पर 2.21 करोड़ रुपए की राशि निगम के विशेष रिजर्व में अंतरित किया गया है ।

7. सीएसआर प्रावधान:

आपके निगम ने सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में डीपीई से उसी प्रकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जैसाकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा

135 के अंतर्गत एनएसटीएफडीसी सहित अन्य सभी कंपनियों पर लागू होता है । हालांकि लंबित स्पष्टीकरण के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लेखा बही में 23,08,794 रुपए का प्रावधान किया गया है

8. प्रचार और जागरूकता

क. ऑल इंडिया रेडियो के साथ मीडिया सहभागिता: वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ मीडिया सहभागिता के समझौते को नवीनीकृत किया



पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास निगम के माध्यम से एनएसटीएफडीसी द्वारा सहायता प्रदत्त महिला लाभार्थियों के साथ एनएसटीएफडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।



है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, आकाशवाणी अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा आयोजित घटनाओं को कवर करेगा।

ख. जागरूकता शिविर: वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य स्थानों पर 35 जागरूकता शिविर लगाए गए हैं वे राज्य हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।



बागवानी वैज्ञानिकों के लिए बेम्बू आधारित पोलीहाउसिज पर परस्पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एनएसटीएफडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बधाई देते हुए।

ग. प्रदर्शनियों में भागीदारी: वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, डीआईसीसीआई द्वारा हैदराबाद में आयोजित औद्योगिक और व्यापार प्रदर्शनी तथा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्रिस्टी मेला ओ लोको संस्कृति उत्सव-2014 में भाग लिया।

घ. वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी ने अपनी सभी योजनाओं के बारे में जानकारी युक्त पर्चे छपवाए और जागरूकता पैदा करने के लिए हितधारकों में वितरित कराया।

9. मंत्रालय द्वारा कार्य-निष्पादन की समीक्षा:-

जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय ने दिनांक 27.11.2014 को हुई बैठक में एनएसटीएफडीसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा

की, जिसमें सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय भी उपस्थित थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने परिणाम को रिकार्ड करते हुए वार्षिक कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की।

10. कंप्यूटराइजेशन/सूचना प्रौद्योगिकी :

कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के उपयोग के दौरान, निगम के कुछ पुराने कंप्यूटरों को हटाकर नए कंप्यूटरों को उपयोग हेतु लगाया गया है

11. मानव संसाधन :

क. मानव शक्ति: आपके निगम का मानव शक्ति दिनांक 31.03.2015 को 53 था, जिसमें से 13 (25%) अनुसूचित जाति से, 10 (18%) अनुसूचित जनजाति से, 09 (17%) अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 07 (13%) अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। निगम में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 36% है। आपके निगम में संपूर्ण वर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहा।

ख. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन) योजना : आपके निगम के कर्मचारियों के कल्याण हेतु दिनांक 01.01.2007 से आईडीए वेतनमान को पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में डीपीई के दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन) योजना तैयार की गई थी, जिसे दिनांक 11.01.2013 को हुई 51वीं बैठक में एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के बाद यह योजना लागू हो जाएगी, जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

ग. कर्मचारियों का व्यावसायिक विकास एवं प्रशिक्षण: समय-समय पर, आपके निगम के कर्मचारियों की व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा ज्ञान/कौशल को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक

विकास कार्यक्रम/ कार्यशाला/ संगोष्ठी/ सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें नामित किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, (07) अधिकारियों और (07) कर्मचारियों ने इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, कर्मचारियों के कंप्यूटर कौशल को बढ़ाने के लिए दिनांक 12.01.2015 से 20.01.2015 तक एमएस वर्ड, एमएस एक्सल और एमएस पावर प्वाइंट पर एक इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

घ. कर्मचारी कल्याण/ स्वास्थ्य जागरूकता :

- (i) कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कार्यालय परिसर में दिनांक 28.11.2014 को एक योग विशेषज्ञ प्रशिक्षक द्वारा "तनाव प्रबंधन" पर एक योग की कक्षा आयोजित की गई। इसके अलावा, कर्मचारियों के लाभ के लिए दिनांक 23.01.2015 को एक प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा "जीवन शैली प्रबंधन" पर एक अन्य सत्र आयोजित किया गया।
- (ii) "यू मी एंड वी इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड ट्रेनिंग एंड फिटनेस" द्वारा खासकर कर्मचारियों के कल्याण तथा संगठन की समग्र भलाई के लिए "मन का कायाकल्प" नामक एक इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 10.03.2015 और 11.03.2015 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम



मार्च, 2015 के दौरान एनएसटीएफडीसी द्वारा आयोजित "माइंड ट्रांसफॉर्मेशन" पर व्याख्यान।

के प्रमुख लाभों में मानसदर्शन, शक्ति और रचनात्मकता, एकाग्रता में वृद्धि, स्मृति बढ़ाना, जीवन व्यतिक्रम को ठीक करने हेतु मार्गदर्शन, जीवन प्रबंधन, स्वस्थ जीवन, उत्पादकता में वृद्धि, ऊर्जा स्तर में वृद्धि, मजबूत संबंध, आत्म-साक्षात्कार आदि शामिल हैं।

ड.) कार्मिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए सौम्य

कौशल: कार्मिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए "ट्रांजीशन इंस्टीट्यूट फॉर ऐक्सीलेंस" द्वारा प्रभावशाली व्यक्तित्व हेतु "सौम्य कौशल" पर एक इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30.03.2015 को आयोजित किया गया। एक विशेषज्ञ प्रेरक प्रशिक्षक द्वारा "प्रभावी कार्य-निष्पादन हेतु आत्मबोध" पर एक अन्य इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 31.03.2015 को आयोजित किया गया।

च) स्वच्छ भारत अभियान: भारत सरकार के "स्वच्छ भारत अभियान" मिशन की दिशा में आपकी कंपनी द्वारा दिनांक 26.09.2014 से 02.10.2014 तक निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:-

- (i) स्वच्छ भारत शपथ।
- (ii) कार्यालय की इमारत के आस-पास के स्थान, सीढ़ियों, सामान्य क्षेत्र तथा शौचालय सहित कार्यालय भवन के आस-पास के स्थान की रखरखाव व साफ-सफाई।
- (iii) कर्मचारियों और उनके बच्चों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के विषय पर पोस्टर डिजाइनिंग।
- (iv) पुरानी फाइलों/पुराने अभिलेखों की छंटाई।
- (v) अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान।
- (vi) सफाई अभियान के महत्व पर अ.प्र.नि. का व्याख्यान।



12. राजभाषा कार्यान्वयन:

वर्ष के दौरान, राजभाषा नीति के अनुपालन में आपके निगम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:-

क. निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं ।

ख. राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और अर्ध वार्षिक रिपोर्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नई दिल्ली को क्रमशः प्रस्तुत की गईं ।

ग. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम के कई दस्तावेज और मानक प्रारूप का हिंदी अनुवाद कराया गया । जिसमें निगम की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14, समझौता ज्ञापन, विज्ञापन सामग्री (स्टेटमेंट) और प्रस्तुतीकरण शामिल है ।

घ. मूल रूप से हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन हेतु प्रोत्साहन योजना और सरकारी कामकाज अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी करने हेतु टाईपिस्टों और आशुलिपिकों के लिए "हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना" को भी कार्यान्वित किया गया है । वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत श्री एम.के.ब्रह्मा, मुख्य प्रबंधक (परियोजना) और श्रीमती किरण पुष्करणा, वरि. निजी सहायक एवं श्रीमती बिमला, कनिष्ठ सहायक को क्रमशः नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ।

ड. राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निगम के एक कार्मिक को नामित किया गया ।

च. निगम में "हिंदी पखवाड़ा" दिनांक 01.09.2014 से 15.09.2014 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। निगम के कार्मिकों ने उपरोक्त सभी प्रतियोगिताओं में उत्सुकतापूर्वक भाग लिया तथा अपना अधिकतम कार्यालयीन काम राजभाषा हिंदी में किया । दिनांक 15.09.2014 को "हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह" में इन विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए गए ।

छ. निगम में दिनांक 12.09.2014 को एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती नीना पुंज, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ने "हिंदी में टिप्पण / आलेखन" विषय पर आने वाली कठिनाईयों को हल करने के लिए एक व्याख्यान दिया ।

13. वार्षिक रिटर्न सार:

धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप धारा (3) के प्रावधानों के साथ पठित, वार्षिक रिटर्न सार परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।

14. बोर्ड बैठक:

धारा 8 के अधीन कंपनियों (पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25) पर लागू दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 6 कैलेंडर महीने के अंदर कम से कम एक तथा एक वर्ष में 2 बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई है । बोर्ड की तीन बैठकें दिनांक 31.07.2014, 26.11.2014 एवं 10.02.2015 को हुईं ।

15. निदेशकों के दायित्व संबंधी कथन:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप धारा 5 के साथ पठित धारा 134(3) (ग) के अनुसरण में निदेशकों का कथन है कि:-



- क. वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है तथा उसमें कोई अंतर नहीं है;
- ख. चयनित लेखा नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया। उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन किए गए, जिससे वह 31 मार्च, 2015 के अंत में निगम के कार्य और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के आय और व्यय विवरण की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत कर सके ;
- ग. निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा करने के लिए तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ;
- घ. निगम के वार्षिक लेखे नियम के आधार पर तैयार किए गए हैं ;
- ड. चूंकि एनएसटीएफडीसी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है इसलिए इस खंड के अंतर्गत दिया जाने वाला कथन इस पर लागू नहीं है;
- च. लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किया गया है और ऐसी व्यवस्था पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

16. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा पर कथन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा(6) के साथ पठित धारा 134(3)(घ) के प्रावधान (स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर कथन की आवश्यकता) धारा 8 के अधीन कंपनियों (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) पर लागू नहीं है।

17. प्रकटन:

क. **निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति का प्रकटीकरण:** यह रिपोर्ट किया जाता है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के आधार पर धारा 178 की उप-धारा (3), एनएसटीएफडीसी पर लागू नहीं होती है और निदेशकों की योग्यता निर्धारण हेतु मानदंड सकारात्मक लक्षण, किसी निदेशक की स्वतंत्रता तथा अन्य मामले सहित उनकी नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ख. **प्रत्येक प्रतिकुल अभ्युक्ति इत्यादि पर बोर्ड का स्पष्टीकरण एवं टिप्पणी :** लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रतिकुल अभ्युक्ति नहीं है, जिस पर आपके निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी देने की आवश्यकता हो।

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं वेतन) नियमावली, 2013 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के आधार पर आपके निगम में समीक्षाधीन अवधि के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

ग. **ऋण, निवेश या गारंटी के ब्यौरे:** समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसरण में न तो कोई ऋण लिया और न ही गारंटी ली और न ही निवेश किया।

घ. **अनुबंध के ब्यौरे अथवा संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्था:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत संबंधित पक्ष के रूप में परिभाषित किसी पक्ष से आपके निगम ने किसी प्रकार का न तो अनुबंध किया है अथवा न ही कोई लेन-देन की है।



ड. लाभांश: आपका निगम, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जो अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत आता है। धारा 8(1) (ख) एवं धारा (8) (1) (ग) के संबंध में व्यय की तुलना में आय की अधिकता को पूर्ण निवेशित करता है और लाभांश की घोषणा नहीं करता है।

च. भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता: वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तिथि तक न तो ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है और न ही कोई प्रतिबद्धता आई है जिससे कि आपके निगम की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो।

छ. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश विदेशी मुद्रा आय और व्यय: ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय और व्यय की जानकारी और विवरण संबंधी सूचना शून्य है।

ज. जोखिम प्रबंधन नीति: दिनांक 18.08.2010 को हुई 41वीं बैठक में बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन की नीति अनुमोदित की गई। बोर्ड की राय में, आपके निगम में दिए गए ऋण का भुगतान न हो पाना और/ अथवा संभावित लाभार्थियों तक ऋण न पहुंच पाना और/या जिस उद्देश्य के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई, उसका उपयोग न कर पाना आदि निहित जोखिम है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के जोखिमों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जानी है। इसके अतिरिक्त, संभावित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए आपके निगम के अधिकारी कार्यान्वित इकाईयों के निरीक्षण के

लिए नियमित रूप से दौरे करते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन तंत्र का आंकलन करने के लिए प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन भी कराया जाता है।

झ. निगमित सामाजिक दायित्व नीति: कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने सीएसआर समिति का गठन किया है। हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी होने के नाते और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों को लागू करने हेतु आपके निगम ने सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में डीपीई से स्पष्टीकरण मांगी है। यह स्पष्टीकरण अभी लंबित है। वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर की दिशा में कोई अलग से खर्च नहीं किया गया है। हालांकि, इस मामले में डीपीई के मार्ग निदेशानुसार वर्ष 2014-15 हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किए गए हैं। सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे युक्त सीएसआर विवरण वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट -3 में दी गई है।

ञ. बोर्ड, समितियों एवं प्रत्येक निदेशक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन: कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में धारा 134(3) (पी) के प्रावधान, बोर्ड द्वारा किए गए अपने निष्पादन और अपनी समितियों एवं प्रत्येक निदेशकों के वार्षिक औपचारिक मूल्यांकन आपके निगम पर लागू नहीं होता है।



18. बोर्ड की समितियां:

क. सीएसआर समिति: कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल ने अपने 59वें बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया, जिसमें संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी और कार्यकारी निदेशक, भारतीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राईफेड) इसके सदस्य होंगे।

ख. लेखापरीक्षा समिति: कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की श्रेणियों को निर्दिष्ट करते हुए लेखा समितियों का गठन किया जाना आपके निगम के लिए अपेक्षित नहीं है। हालांकि, सार्वजनिक उपक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके निगम के निदेशक मंडल ने दिनांक 04.07.2012 को हुई अपनी बैठक में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। लेखा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.07.2014 को संपन्न हुई तथा बोर्ड द्वारा

इस समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

ग. नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हित धारक संबंध समिति: कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड हेतु नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाना आपके निगम के लिए अपेक्षित नहीं है। हालांकि, सार्वजनिक उपक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 18.08.2010 को हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा एक पारिश्रमिक समिति बनाई गई है। पारिश्रमिक समिति की बैठक दिनांक 10.02.2015 को संपन्न हुई।

घ. सतर्कता तंत्र : कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम -7(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उप धारा (9) के प्रावधानों के अनुसार, आपका निगम सतर्कता तंत्र के गठन के दायरे से बाहर है। हालांकि, कर्मचारियों को किसी प्रकार के अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।



19. निदेशक मंडल:

क) नियुक्तियां: वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी

में नियुक्तियां/निदेशक मंडल में परिवर्तन का विवरण निम्नलिखित हैं-

<p>1. श्री अशोक पेई (डीआईएन-06874699) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (दिनांक 01.04.2014 से)</p>	<p>2. श्री रमेश कुमार जी. आईएएस (डीआईएन-06991796) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (दिनांक 02.06.2014 से)</p>
<p>3. श्री मनोज कुमार पिंगुआ,आईएएस (डीआईएन-01732177) संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय (दिनांक 24.07.2014 से)</p>	<p>4. श्री जी.एस.हयंकी (डीआईएन-06968702) उप महा प्रबंधक (लेखा परीक्षा) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (दिनांक 5.08.2014 से)</p>

ख. स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति आदि के कारण निदेशक नहीं रहे ।

<p>1. डॉ.साधना राउत (डीआईएन-05337600) संयुक्त सचिव,जनजातीय कार्य मंत्रालय (दिनांक 03.04.2014 से)</p>	<p>2. श्री अशोक पेई (डीआईएन-06874699) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (दिनांक 01.06.2014 से)</p>
<p>3. श्री के.एम.प्रधान (डीआईएन-02749508) उप महाप्रबंधक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (दिनांक 04.08.2014 से)</p>	<p>4. श्री रमेश चंद्र साई (डीआईएन-06921985) प्रबंध निदेशक ओडिशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त सहकारी निगम लिमिटेड (दिनांक 10.03.2015 से)</p>

निवर्तमान निदेशक द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं और उनके मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल लिखित में हार्दिक सराहना करते हैं ।

20. निगम प्रशासन:

डीपीई द्वारा दिनांक 14.05.2010 को जारी किए गए आदेश के अंतर्गत सीपीएसई के लिए जारी आदेश के अंतर्गत सीपीएसई के लिए निगम प्रशासन के दिशा-निदेशों को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए आपका निगम प्रतिबद्ध है । निगम प्रशासन पर रिपोर्ट परिशिष्ट-4 में दी गई है ।

21. लेखापरीक्षक:

आपके निगम के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त किया गया । सीएजी कार्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए मैसर्स पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है । कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सीएजी की टिप्पणी के संदर्भ में कंपनी के समाप्त हुए वर्ष 31 मार्च, 2015 के वित्तीय विवरणों पर, सीएजी ने समाप्त हुए वर्ष 31 मार्च, 2015 के वित्तीय विवरणों



का अनुपुरक लेखा नहीं करने का फैसला लिया है और इस तरह कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत कोई टिप्पणी नहीं की है।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 के तहत संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सीएजी द्वारा जारी किया गया गैर - समीक्षा प्रमाण-पत्र वार्षिक खातों के साथ परिशिष्ट-"क" एवं परिशिष्ट "ख" में दिए गए हैं।

22. अन्य प्रकटीकरण:

निम्नलिखित मामले में अन्य प्रकटीकरण के विवरण या रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्ष के दौरान इनका कोई लेन-देन नहीं हुआ:

- क. कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V में यथा निर्धारित जमा से संबंधित विवरण;
- ख. लाभांश, मतदान या अन्य प्रकार से अंतरीय अधिकार के साथ इक्विटी शेयरों का निर्गम ;
- ग. किसी योजना के अंतर्गत निगम के कर्मचारियों को (स्वेट इक्विटी शेयरों सहित) इक्विटी शेयरों का निर्गम;
- घ. नियामक या अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा कोई ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया जिससे कि निगम के कार्यों और इसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ा है ;

23. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति

आदेश, 2012 के संदर्भ में एनएसटीएफडीसी ने एमएसई उद्यमों से कुल 2.67 लाख रुपए की खरीद की, जो लेखन सामग्री को छोड़कर कुल खरीद का 13.35% है। इसके अलावा 20% लक्ष्य को पाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

24. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, प्रत्येक निगम द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किसी घटना अथवा मामले को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

25. आभार:

आपके निदेशक आपके निगम के कार्मिकों द्वारा वर्ष के दौरान दी गई समर्पित सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

आपके निदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सतत सहायता के लिए एवं राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों एवं एनएसटीएफडीसी की अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य एजेंसियों एवं लेखा परीक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और सलाह के लिए भी आभारी हैं।

कृते एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह0/

(रमेश कुमार जी.)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(डीआईएन-06991796)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.07.2015



परिशिष्ट -1

वर्षवार लक्ष्य एवं मंजूरीयों का ब्यौरा (एनएसटीएफडीसी निगमन के पश्चात)
(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन	अधीन मंजूरीयों				कुल	
		आय जनित गतिविधियां		विपणन समर्थन सहायता			
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
2001-02	60.00	60.25	5383	3.00	290430	63.25	295813
2002-03	80.00	93.98	69015	5.00	110000	98.98	179015
2003-04	100.00	66.15	12825	13.00	675900	79.15	688725
2004-05	100.00	68.06	11094	5.00	283000	73.06	294094
2005-06	100.00	67.52	13967	12.50	156200	80.02	170167
2006-07	100.00	91.83	27474	13.50	200000	105.33	227474
2007-08	120.00	118.40	47636	13.00	195000	131.40	242636
2008-09	150.00	146.35	42216	16.00	238000	162.35	280216
2009-10	150.00	154.24	37439	0.00	0	154.24	37439
2010-11	152.00	158.17	95632	0.00	0	158.17	95632
2011-12	160.00	192.77	112489	0.00	0	192.77	112489
2012-13	175.00	203.43	61625	0.00	0	203.43	61625
2013-14	180.00	208.25	260356	0.00	0	208.25	260356
2014-15	190.00	229.75	34098	0.00	0	229.75	34098
कुल	1817.00	1859.15	831249	81.00	2148530	1940.15	2979779




संवितरण राशि का वर्षवार विवरण (एनएसटीएफडीसी निगमन के पश्चात)

(करोड़ रुपयों में)


वित्तीय वर्ष	आय जनित गतिविधियां	विपणन समर्थन सहायता	कुल
2001-02	27.51	—	27.51
2002-03	34.16	8.00	42.16
2003-04	22.73	13.00	35.73
2004-05	48.46	5.00	53.46
2005-06	51.06	8.50	59.56
2006-07	66.21	13.80	80.01
2007-08	67.06	13.40	80.46
2008-09	84.74	8.00	92.74
2009-10	83.76	—	83.76
2010-11	95.18	—	95.18
2011-12	113.07	—	113.07
2012-13	132.78	—	132.78
2013-14	141.35	—	141.35
2014-15	154.97	—	154.97
कुल	1123.04	69.70	1192.74

वर्षवार संचयी वसूली प्रतिशत






कृषि क्षेत्र में निवेश का वितरण



लक्ष्य: कृषि: 55%; उद्योग: 5%; सेवा-परिवहन: 10%; सेवा: 30%

2014-15 में निवेश के स्रोत





फार्म नं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

{कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी नियमवली 2013 के नियम 12(2) के अनुसार
(प्रबंधन एवं प्रशासन)}

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरा :

i.	सीआईएन	यू7489डीएल2001एनपीएल110356
ii.	पंजीकरण दिनांक	10.04.2001
iii.	कंपनी का नाम	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी)
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	गारंटी द्वारा कंपनी सीमित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कंपनी लाइसेंस
v.	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता	एनबीसीसी टावर, प्लॉट नं.-15 भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
vi.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता एवं संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

सभी व्यावसायिक गतिविधियां कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा अधिक योगदान देती हैं, जो इस प्रकार होगी:-



क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम तथा ब्यौरा	उत्पाद /सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल टर्नओवर प्रतिशत
1.	अनुसूचित जनजातियों को रियायती वित्तीय सहायता देना	-	100% (केवल मूल व्यावसायिक गतिविधि के रूप में)
2.	-	-	-
3.	-	-	-

III. धारित, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण-

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारित/सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

एनएसटीएफडीसी के पास कोई धारित, सहायक अथवा सह-सहायक अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है ।

IV. शेयर धारिता पद्धति (इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा कुल इक्विटी प्रतिशत के रूप में)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव का प्रतिशत
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क.प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केंद्रीय सरकार	-	4049995	4049995	100%	-	4459995	4459995	100%	10.12% शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए गए हैं ।
(ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	
(घ) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ड.) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	
(च) कोई अन्य (एक शेयर श्री रूपक चौधरी, उप सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय के नाम पर है)	-	1	1	-	-	1	-	-	
उप-कुल (क) (1):	-	4049996	4049996	100%	-	4459996	4459996	100%	10.12%



2. विदेशी									
(क) अनिवासी भारतीय व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ड) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (क) (2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तकों की कुल शेयर धारिता(क)= (क) (1)+(क)(2)	-	4049996	4049996	100%	-	4459996	4459996	100%	10.12%
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थान									
(क) म्युचल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केंद्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ड) वेंचर कैपिटल निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) एफआईआईएस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य(निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ख)(1):									
2. गैर-संस्थान									
(क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विभिन्न देशों में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक नाममात्र अंशपूजी धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डर	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ii) 1 लाख रुपए से अधिक नाममात्र अंशपूंजी धारक व्यक्तिगत शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ख)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारक (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		4049996	4049996	100%		4459996	4459996	100%	10.12% शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए गए हैं।

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयर धारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में बदलाव का प्रतिशत
1.								
2.	भारत के राष्ट्रपति	4049995	100%	-	4459995	100%	-	10.12% शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए गए हैं।
3.	श्री रूपक चौधरी, उप सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	1	-	-	1	-	-	-



(iii) प्रवर्तक के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया यदि कोई बदलाव न हो तो निर्दिष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
1.					
	वर्ष के प्रारंभ में	4049996	100%	4049996	100%
2.	वर्ष के दौरान तिथिवार/ प्रवर्तक शेयर धारिता में वृद्धि/कमी संबंधित वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण निर्दिष्ट करें (जैसे आबंटन/ स्थानांतरण बोनस उद्यम इक्विटी इत्यादि)	1. आबंटन तिथि --26.11.2014 2. शेयरों का आबंटन; 3. इक्विटी शेयर	10.12%	4,10,000	10.12%
3.	वर्ष के अंत में	4459996	100%	4459996	100%

(iv) शीर्ष दस शेयर धारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) शेयर धारिता पद्धति:

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	शीर्ष दस शेयर धारकों में प्रत्येक के लिए				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
2.	वर्ष के दौरान तिथिवार प्रवर्तक शेयर धारिता में वृद्धि/ कमी, संबंधित वृद्धि/कमी का कारण निर्दिष्ट करें (जैसे आबंटन/ स्थानांतरण/ बोनस उद्यम इक्विटी इत्यादि)	-	-	-	-
3.	वर्ष के अंत में (अलग होने की तारीख से अथवा, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हों)	-	-	-	-



v. कर्जदारी

बकाया/ अर्जित ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान के लिए देय नहीं

	जमा राशि को छोड़कर संरक्षित ऋण	असंरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
(i) मूलधन राशि	-	-	-	-
(ii) देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) अर्जित ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में बदलाव				
जमा	-	-	-	-
कटौती	-	-	-	-
कुल बदलाव	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
(i) मूलधन राशि	-	-	-	-
(ii) देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) अर्जित ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	-	-	-

vi. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	अ.प्र.नि.*	पूर्ण कालिक निदेशक	प्रबंधक	कुल राशि
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	13,17,683.00	-	-	13,17,683.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभों का मूल्य	5,000.00	-	-	5,000.00



	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-	-
2.	स्टाक विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन -- लाभ के % के रूप में - अन्य निर्दिष्ट करें	- -	- -	- -	- -
5.	अन्य , निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल (क)	13,22,683.00	-	-	13,22,683.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-	-	-	-

* 02.06.2014 को भार ग्रहण किया ।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	-	-	-	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक ● बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य , निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक ● बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
3.	कुल (2)	-	-	-	-
	कुल = (1+2)	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समस्त सीमा	-	-	-	-



ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	म.प्र.(वित्त एवं परि.) मुख्य वित्त अधिकारी एवं कंपनी सचिव	कुल
1.	कुल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	17,02,206.00	17,02,206.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभों का मूल्य	-	15,638.00	15,638.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-
2.	स्टाक विकल्प	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ % के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें	- -	- -	- -
5.	अन्य , विनिर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल	-	17,17,844.00	17,17,844.00


VII. दंड/सजा/अपराध समझौता:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाए गए समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-



बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

<p>1) प्रस्तावित परियोजना या कार्यक्रम के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, सीएसआर नीति एवं परियोजना या कार्यक्रम के वेब लिंक का कोई संदर्भ ।</p>	<p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कंपनी होने के नाते, अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत अनुमत्य गतिविधियों को करने के लिए एनएसटीएफडीसी ने सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में डीपीई से स्पष्टीकरण मांगा है ।</p>
<p>2) सीएसआर समिति का गठन</p>	<p>दिनांक 31.03.2015 को, निम्नलिखित व्यक्ति सीएसआर समिति में शामिल हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, समिति के अध्यक्ष; 2. श्री रमेश कुमार जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के सदस्य और 3. श्री आर.एस.मीना, कार्यकारी निदेशक, ट्राईफेड, समिति के सदस्य
<p>3) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ</p>	<p>₹ 11,54,39,677/-</p>
<p>4) निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद-3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)</p>	<p>₹ 23,08,794/-</p>
<p>5) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किए गए सीएसआर का विवरण</p>	<p>*</p>
<p>(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि</p>	<p>—</p>
<p>(ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो;</p>	<p>—</p>
<p>(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि के व्यय का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:</p>	<p>—</p>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	सीएसआर परियोजना या चिन्हित गतिविधि	जिस सेक्टर के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाओं या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2)उस राज्य अथवा जिले को चिन्हित करें, जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाए गए हों ।	परियोजना या कार्यक्रम-वार राशि का व्यय (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर व्ययित राशि का उप-शीर्ष (1)परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधा व्यय (2)परिव्यय	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	व्यय राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
-	-	-	-	-	-	-	

* एनएसटीएफडीसी ने सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में डीपीई से स्पष्टीकरण मांगा है, जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत एनएसटीएफडीसी सहित सभी अन्य कंपनियों में भी उसी रूप में लागू है । हालांकि लम्बित स्पष्टीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लेखा बही में 23,08,794/-रुपए का प्रावधान किया गया है ।

उत्तरदायित्व संबंधी कथन

सार्वजनिक उद्यम विभाग निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएसटीएफडीसी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु लेखा बही में 23,08,794/-रुपए का प्रावधान किया है ।



निगम प्रशासन पर निदेशकों की रिपोर्ट

1. निगम प्रशासन: दर्शन

- (क) आपके निगम ने परिकल्पित दक्ष निगम प्रशासन की पद्धतियों के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाई है। निगम प्रशासन के मुख्य तत्व निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व हैं। निगम प्रशासन में सांविधिक अनुपालन, विनियम, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश, मूल्यों, संस्कृति एवं स्वैच्छिक पद्धतियों और खुलासों का एक अनूठा मिश्रण है। निदेशक मंडल कंपनी के कार्य-निष्पादन के लिए शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी है।
- (ख) निगम का मुख्य उद्देश्य पात्र अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लाभ के लिए आर्थिक विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा देना है। एनएसटीएफडीसी अपनी शुरुआत से अच्छे निगम प्रशासन के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाता रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता एवं कारगरता के महत्वपूर्ण मूल्यों का एनएसटीएफडीसी के लिए स्व-अनुशासन कोड रहा है। मूल्य संगठन के सिद्धान्तों को निर्धारित करते हैं, जो बदले में कार्यकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की दिशा को निर्धारित करते हैं।

2. निदेशक मंडल

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जो कार्यनीतियां, नीतियां एवं समय-समय पर निगम के निष्पादन की समीक्षा करता है।

- (क) **गठन:** निगम के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या दो से कम और बीस से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, निगम के संगम अनुच्छेद के अनुसार एनएसटीएफडीसी के बोर्ड में निम्न निदेशक होंगे। (1) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी (एक) (2) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एक) (3) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एक) (4) कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड (एक) (5) राज्य अनुसूचित जनजाति निगम का एक प्रतिनिधि (चक्रानुक्रम आधार पर) (एक) (6) नाबार्ड से प्रतिनिधि (एक) (7) आईडीबीआई से प्रतिनिधि (एक) और (8) अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी निदेशक (तीन)

(ख) सरकारी नामिति (दो)

- (1) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
(11) जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

- (ग) **नियुक्त प्राधिकारी:** कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मंडल की नियुक्त प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार है।



(घ) वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों का विवरण निम्नलिखित है :

<p>1. श्री अशोक पेई *</p> <p>(डीआईएन-06874699)</p> <p>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</p> <p>नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन</p> <p>(दिनांक 01.04.2014 से)</p>	<p>2. श्री रमेश कुमार जी. आईएएस</p> <p>(डीआईएन-06991796)</p> <p>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</p> <p>नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन</p> <p>(दिनांक 02.06.2014 से)</p>
<p>3. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, आईएएस</p> <p>(डीआईएन-01732177)</p> <p>संयुक्त सचिव</p> <p>जनजातीय कार्य मंत्रालय</p> <p>(दिनांक 24.07.2014 से)</p>	<p>4. श्री जी.एस.हयंकी</p> <p>(डीआईएन-06968702)</p> <p>उप महा प्रबंधक (लेखा परीक्षा)</p> <p>औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया</p> <p>(दिनांक 05.08.2014 से)</p>

* श्री अशोक पेई दिनांक 01.06.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे ।

(ड.) निदेशक मंडल के दायित्व:

निदेशक मंडल की अपने विचारार्थ आरक्षित मामलों की एक औपचारिक अनुसूची होती है, जिसमें वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा शेयरधारकों को सूचित करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना शामिल है ।

(च) निदेशक मंडल की बैठकें:-

- i. " कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कार्यालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के तहत जारी छूट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) को कम से कम प्रत्येक छह माह के भीतर एक बोर्ड मीटिंग एवं वर्ष में दो बैठकें आयोजित करने की अनुमति है । हालांकि डीपीई मार्गनिदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी अपेक्षित हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें दिनांक 31.07.2014, 26.11.2014 एवं 10.02.2015 को आयोजित हुईं ।
- ii. **निदेशक मंडल बैठकों में उपस्थिति:-** वित्तीय वर्ष 2014-15 में निदेशक मंडल बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति सूची नीचे प्रस्तुत है:



निदेशक का नाम, पदनाम एवं निदेशक मंडल बैठक के उद्देश्य हेतु कार्यकाल	वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बैठकों/ आमंत्रण की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री रमेश कुमार जी. (डीआईएन-06991796) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी (02.06.2014 - 31.03.2015)	03	03
श्री मनोज कुमार पिंगुआ (डीआईएन-01732177) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय (24.07.2014 - 31.03.2015)	03	02
सुश्री सरिता मित्तल (डीआईएन -00171343) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार जनजातीय कार्य मंत्रालय (01.04.2014 - 31.03.2015)	03	02
श्री आर.एस.मीना (डीआईएन -03058621) कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड (01.04.2014 - 31.03.2015)	03	03
श्री जी.एस.हयंकी (डीआईएन-06968702) उप महा प्रबंधक (लेखा परीक्षा) औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया (05.08.2014 - 31.03.2015)	02	—
श्री अशोक पेई (डीआईएन-06874699) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी (01.04.2014 - 01.06.2014)	—	—
डॉ. साधना राउत (डीआईएन -05337600) संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय (01.04.2014 - 03.04.2014)	—	—
श्री के.एम.प्रधान (डीआईएन -02749508) उपमहाप्रबन्धक, आईडीबीआई (01.04.2014 - 04.08.2014)	01	—



निदेशक का नाम, पदनाम एवं निदेशक मंडल बैठक के उद्देश्य हेतु कार्यकाल	वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बैठकों/ आमंत्रण की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री रमेश चंद्रा साई (डीआईएन -06921985) प्रबंध निदेशक ओडीशा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (01.04.2014 - 10.03.2015)	03	02

iii. **निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना** : एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रायः निम्न शीर्षों के अंतर्गत सूचना/ कार्यसूची कागजात के अंश के रूप में अथवा बोर्ड की बैठक के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं ।

- समझौता ज्ञापन प्राचल, बजट एवं कोई अद्यतन सूचना
- पूंजी बजट एवं कोई अद्यतन सूचना
- वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण
- निदेशक मंडल की समिति के बैठक का कार्यवृत्त
- वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती पर सूचना
- मानव संसाधन पर कोई महत्वपूर्ण विकास
- सभी लम्बित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की रिपोर्ट
- प्रमुख विधिक विसंगतियों संबंधी सूचना
- अधिशेष निधियों के अल्पावधिक निवेश
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव
- महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन व उसके कारण
- आंतरिक लेखा परीक्षकों/ सांविधिक लेखा परीक्षकों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट
- बोर्ड के समक्ष सूचना व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य सूचना

iv. **अग्रिम रूप से वितरित बोर्ड संबंधी सामग्री** : कार्यसूची संबंधी टिप्पणियों को अग्रिम रूप से परिचालित की जाती हैं। बैठक में अर्थपूर्ण एवं केन्द्रित विचार-विमर्श सुसाध्य बनाने के लिए कार्यसूची कागजात संबंधी सभी सामग्री सूचना सम्मिलित की जाती है। जहां पर कोई दस्तावेज कार्यसूची के साथ संलग्न करना व्यवहार्य नहीं होता उसे बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। विशेष एवं अपवादात्मक स्थिति में कार्यसूची संबंधी अतिरिक्त अथवा अनूपूरक मर्दों के लिए अनुमति दी जाती है।

छ. निदेशकों का प्रशिक्षण :

गैर कार्यकारी निदेशक जनजातीय विकास के विविध क्षेत्रों प्रशासन, वित्त इत्यादि से हैं। उनकी विशेषज्ञता ने एनएसटीएफडीसी को अपने विकास के लिए नई पहल करने में सक्षम बनाया है। अधिकांश निदेशक अपने चुने हुए क्षेत्रों में नियमित कार्य के रूप में सम्मेलनों तथा सेमिनारों इत्यादि में भाग ले रहे हैं। अतः किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण की जरूरत महसूस नहीं की गई।



3. लेखा परीक्षा समिति :

सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वित्तीय सूचना के प्रकटन, सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान, वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा इत्यादि को देखने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होता है। निदेशक मंडल की दिनांक 04.07.2012 को आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान दिनांक 31.07.2014 को वित्तीय विवरण 2013-14 एवं आंतरिक लेखा परीक्षा एवं सीएजी लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हेतु समिति की बैठक हुई।

4. पारिश्रमिक समिति :

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कार्य निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करना होता है। दिनांक 18.08.2010 को आयोजित निदेशक मंडल की 41वीं बैठक में निगम के निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया। समिति की जिम्मेदारी में नष्पादन संबंधी वेतन पर विचार करना भी शामिल है। पारिश्रमिक समिति की बैठक दिनांक 10.02.2015 को हुई।

निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों पर आधारित है। गैर-कार्यकारी निदेशक (अंशकालिक सरकारी) सरकारी अधिकारी होने के कारण कंपनी से कोई भी पारिश्रमिक नहीं लेते हैं।

5. वार्षिक आम बैठकें :

(क) निगम को 10.4.2001 को निगमित किया गया था। अब तक तेरह वार्षिक आम बैठकें आयोजित की गई हैं। गत 3 वार्षिक आम बैठकों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2011-12	03.09.2012	3.00 PM	सम्मेलन कक्ष, (कमरा नं.734-735), 7वीं मंजिल, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2012-13	19.09.2013	12 Noon	सम्मेलन कक्ष, (कमरा नं.734-735), 7वीं मंजिल, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2013-14	15.09.2014	9.30 AM	सम्मेलन कक्ष, (कमरा नं.734-735), 7वीं मंजिल, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

गत तीन आम बैठकों के दौरान निगम के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन हेतु कंपनी के शेयरधारकों द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

(ख) वार्षिक आम बैठक में मंडल निदेशकों की उपस्थिति: कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शेयरधारक एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों को वार्षिक आम बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी शेयर धारक नहीं होने के कारण किसी भी निदेशक को वार्षिक आम बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि,



अ.प्र.नि., एनएसटीएफडीसी कंपनी का मुख्य कार्यपालक होने के कारण हर वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होते हैं ।

6. प्रकटीकरण :

- (क) कंपनी ने निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार की सामग्री, वित्तीय अथवा वाणिज्यिक लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है जिसमें वे या तो निदेशकों और/ अथवा भागीदारों के रूप में सीधे अथवा उनके रिश्तेदारों के माध्यम से रूचि रखते हों, केवल कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को छोड़कर जहां एनएसटीएफडीसी के निदेशक किसी शेररहोलिडिंग के बिना ऐसी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के बोर्ड में भी हो ।
- (ख) लेखा मानक 18 के अनुसार, राज्य नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरण में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है । निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, कुछ सार्वजनिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । अतः इन लेनदेन के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है ।
- (ग) कंपनी ने लागू नियमों एवं विनियमों का पालन किया है तथा किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई दंड नहीं लगाए गए या आलोचना नहीं की गई है ।
- (घ) विसलब्लोअर नीति के संबंध में यह कंपनी एक छोटा संगठन है, जिसमें दिनांक 31.3.2015 के अनुसार 53 कर्मचारी हैं । कर्मचारियों को किसी भी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।
- (ङ.) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 14.5.2010 के कार्यालय ज्ञापन में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए । दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनएसटीएफडीसी जैसी धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 सी धारा 8) कंपनियों सहित सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन का प्रावधान अनिवार्य है । कंपनी ने निगमित प्रशासन के दिशा-निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया है ।
- (च) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्थात् 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान कोई शासकीय आदेश जारी नहीं हुए हैं ।
- (छ) व्यय संबंधी वह मदें, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं हैं, बही खातों में डेविट नहीं किए गए हैं । बोर्ड निदेशकों एवं शीर्ष प्रबंधन द्वारा व्यक्तिगत प्रकृति का कोई खर्च नहीं किया गया । प्रशासनिक कार्यालयीन खर्च गत वर्ष के दौरान 72.85% के सम्मुख वर्ष 2014-15 के दौरान कुल खर्चों का 72.66% था (कर्मचारियों हेतु लाभ व्यय एवं अन्य खर्च), जिसकी गणना 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के आधार पर की गई है ।

7. संचार के साधन:

- (क) सदस्यों/शेरधारकों को प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निष्पादन के बारे में अवगत कराया जाता है ।



- (ख) वर्ष के लिए निर्धारित समझौता ज्ञापन लक्ष्य के सम्मुख निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा नियमित अंतराल पर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। इसके अलावा, निगम के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर संसदीय समितियों इत्यादि द्वारा भी समीक्षा की गई।
- (ग) एनएसटीएफडीसी एवं इसके कार्यक्रमों के बारे में सूचना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की अनुसूचियां/ नागरिक/ कलाईट चार्टर, लोक शिकायतों के निवारण सहित सभी सूचना एनएसटीएफडीसी की वेबसाइट (www.nstfdc.nic.in) पर उपलब्ध है।

8. लेखा परीक्षकों से अनुपालन प्रमाणपत्र :

निगम प्रशासन पर डीपीई के दिशा निर्देशों के खंड 8.2 के संदर्भ में, कंपनी के लेखा-परीक्षकों से निगम प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-1** के रूप में रखा गया है।

9. व्यापार और बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण एवं नीति संहिता :

कंपनी उच्च स्तरीय व्यवसाय आचरण एवं नीति संहिता एवं लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों के साथ व्यवसाय संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, निगम ने एनएसटीएफडीसी के बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए "व्यवसाय आचरण नीति संहिता मॉडल" को अपनाया है एवं वरिष्ठ प्रबंधन सहित बोर्ड के सभी सदस्यों को इसकी प्रति परिचालित की गई। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वर्ष 2014-15 के दौरान उनके अनुपालन की पुष्टि भी की।

दिसवुंडक एम्य रफ्क मुधव व्ज 1 स

ह.

(रमेश कुमार जी.)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(डीआईएन-06991796)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.07.2015



परिशिष्ट-1

पीयूष अग्रवाल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बी-132, आनंद विहार, दिल्ली-110092
फोन: 22164700, 22164800
फैक्स- 91-11-2216 4800
ई-मेल-pecyush@indialiaison.com
ई-मेल-anupma@indialiaison.com
वेबसाइट-http://www.indialiaison.com

निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सदस्यगण,

नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन

हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2010 के आदेश के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों हेतु निगम प्रशासन संबंधी निर्धारित मार्गनिदेशों के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा निगम प्रशासन के अनुपालन की जांच कर ली है ।

निगम प्रशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमने जांच सार्वजनिक उद्यम के मार्गनिदेशों के प्रावधान के अनुसार की थी तथा यह निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी । यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय प्रकट करना है ।

हमारी राय में तथा हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केवल प्रकार्यात्मक निदेशकों के पद के सृजन के संबंध में, जिसके लिए निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग से छूट मांगी है, तथा वर्ष में चार निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के बारे में प्रावधान को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिदेशों में यथानिर्धारित निगम प्रशासन की शर्तों के अनुसार अनुपालन किया है । वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की तीन बैठकें हुईं । हालांकि, दूसरी एवं तीसरी तिमाही में हुई बैठकों की अवधि के बीच तीन माह से अधिक समय हो गया था। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक हुई एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई ।

हम आगे बताते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता के रूप में है और न ही कुशल अथवा प्रभावशाली आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं ।

कृते पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन-008982 एन

दिनांक: 21.07.2015
स्थान: नई दिल्ली

ह.
(अनुपमा अग्रवाल)
साझीदार
सदस्यता सं. एम नं.092707



तुलन पत्र
31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन पत्र

राशि रुपयों में

विवरण	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
I. इक्विटी एवं देयताएं			
(1) अंशधारियों की निधि			
(क) अंश पूंजी	2	4,45,99,96,000	4,04,99,96,000
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	3	1,92,08,99,594	1,69,99,62,051
(2) शेरर अनुप्रयोग राशि लंबित आबंटन		-	-
(3) गैर चालू देयताएं			
(क) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	4	71,665	65,104
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	5	2,72,67,476	2,30,22,714
(4) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताएं	6	68,06,488	65,31,691
(ख) अल्पावधिक प्रावधान	7	3,29,03,166	2,52,91,634
कुल		6,44,79,44,389	5,80,48,69,194
II परिसंपत्तियां			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) चल परिसंपत्तियां			
(i) प्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	8	3,06,34,722	3,19,75,711
(ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	9	-	6,22,076
(iii) विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	10	-	-
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	11	3,20,54,54,146	2,76,98,17,962
(ग) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	12	-	-
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी के समकक्ष	13	1,35,12,29,995	1,27,00,13,463
(ख) अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम	14	1,83,28,63,560	1,71,16,46,498
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	2,77,61,966	2,07,93,484
कुल		6,44,79,44,389	5,80,48,69,194

वित्तीय विवरण के साथ टिप्पणियां देखें

द्वारा संचालित एम. एन. एन. मूड हिल्स लि

ह.
(पी. उन्नीकृष्णन)
महाप्रबंधक (वित्त एवं परि.)
एवं कंपनी सचिव

ह.
(जी. एस. हयंकी)
निदेशक
डीआईएन: 06968702

ह.
(रमेश कुमार जी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06991796

"हमारी उसी तारीख की संलग्न लेखा परीक्षित रिपोर्ट के अनुसार"
कृते पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-008982एन

दिनांक : 21.07.2015
स्थान: नई दिल्ली

(अनुपमा अग्रवाल)
भागीदार
एम. एन. 092707



आय - व्यय का विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का आय - व्यय का विवरण

राशि रुपयों में

विवरण	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
I. प्रचालन से राजस्व	16	15,36,64,577	15,12,61,550
II. अन्य आय	17	16,60,65,866	12,30,71,042
III. कुल राजस्व (I + II)		31,97,30,443	27,43,32,592
IV. व्यय			
कार्मिक लाभ व्यय	18	6,12,86,883	5,81,96,619
मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति व्यय	8, 9, 10	37,68,818	29,56,194
अन्य व्यय	19	1,52,60,001	1,23,45,841
संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए प्रावधान	20	2,50,39,158	2,33,30,088
कुल व्यय		10,53,54,860	9,68,28,741
V. पूर्वावधिक समायोजन से पहले व्यय से आय का आधिक्य (III - IV)		21,43,75,583	17,75,03,851
VI. पूर्व अवधि व्यय / (आय) (कुल)	21	1,15,333	(43,203)
VII. असाधारण एवं असाधारण मदों एवं कर के पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (V-VI)		21,42,60,250	17,75,47,054
VIII. असाधारण मदें	22	66,77,293	62,51,958
IX. अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII + VIII)		22,09,37,543	18,37,99,012
X. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
(1) आधार		52.71	48.01
(2) मिश्रित		51.93	47.67

वित्तीय विवरण के साथ टिप्पणियां देखें

दस्तावेज संख्या: 1/2015

ह.
(पी.उन्नीकृष्णन)
महाप्रबंधक (वित्त एवं परि.)
एवं कंपनी सचिव

ह.
(जी.एस.हयंकी)
निदेशक
डीआईएन:06968702

ह.
(रमेश कुमार जी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06991796

"हमारी उसी तारीख की संलग्न लेखा परीक्षित रिपोर्ट के अनुसार"
कृते पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-008982एन

दिनांक : 21.07.2015
स्थान: नई दिल्ली

(अनुपमा अग्रवाल)
भागीदार
एम.एन. 092707



वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी-2 शेयर पूंजी

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	शेयरों की संख्या	रुपए	शेयरों की संख्या	रुपए
(क) प्राधिकृत				
1000/-रुपए प्रति इक्विटी शेयर	50,00,000	5,00,00,00,000	50,00,000	5,00,00,00,000
(ख) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी				
प्रत्येक 1000/-रुपए के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	44,59,996	4,45,99,96,000	40,49,996	4,04,99,96,000

(i) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तथा शुरु में अतिदेय राशि एवं शेयरों की संख्या का मिलान:

विवरण	अथ शेष	नए मुद्दे	अंत शेष
इक्विटी शेयर			
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में			
- शेयरों की संख्या	40,49,996	4,10,000	44,59,996
- राशि (रुपए)	4,04,99,96,000	41,00,00,000	4,45,99,96,000
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में			
- शेयरों की संख्या	37,49,996	3,00,000	40,49,996
- राशि (रुपए)	3,74,99,96,000	30,00,00,000	4,04,99,96,000

(ii) प्रति शेयर धारक द्वारा 5% शेयरों से अधिक धारित किए गए शेयरों का ब्यौरा:

शेयरों का प्रकार/ शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रकार % में	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रकार % में
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	44,59,995	100	40,49,995	100

टिप्पणी-3 रिजर्व एवं अधिशेष

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
		रुपए		रुपए
(क) सामान्य रिजर्व				
अथ शेष		1,57,98,38,444		1,41,44,19,334
जोड़े: अधिशेष से आय-व्यय लेखे में अंतरित		19,88,43,789		16,54,19,110
अंत शेष		1,77,86,82,233		1,57,98,38,444
(ख) विशेष आरक्षित निधि				
अथ शेष		12,01,23,607		10,17,43,706
जोड़िए : आय-व्यय लेखे से अंतरित		2,20,93,754		1,83,79,901
अंत शेष		14,22,17,361		12,01,23,607
कुल		1,92,08,99,594		1,69,99,62,051



टिप्पणी-4 अन्य दीर्घकालीन देयताएं

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
देय जमा बयाना राशि	47,907	65,104
सिक्यूरिटी जमा-देने योग्य	23,758	-
कुल	71,665	65,104

टिप्पणी-5 दीर्घकालीन प्रावधान

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
(क) कार्मिकों के लाभ हेतु प्रावधान :		
(i) उपदान प्रावधान	87,66,164	88,57,161
(ii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,85,01,312	1,41,65,553
कुल	2,72,67,476	2,30,22,714

टिप्पणी-6 अन्य चालू देयताएं

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
(क) देय खर्चे	9,14,906	32,16,259
(ख) देय भविष्य निधि	5,44,568	5,94,660
(ग) देय वेतन	2,66,370	2,34,944
(घ) देय स्रोत पर कटा टैक्स	6,17,142	3,92,668
(ङ.) देय ब्याज पर रियायत	27,09,945	20,44,246
(च)अन्य	17,53,557	48,914
कुल	68,06,488	65,31,691



टिप्पणी-7 अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
(क) कार्मिकों के लाभ हेतु प्रावधान :		
(i) उपदान हेतु प्रावधान	14,16,124	4,12,925
(ii) छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	18,54,466	4,18,327
(iii) अ.प्र.नि. के भुगतान हेतु प्रावधान	3,13,924	-
(iv) पीआरपी से संबंधित प्रावधान	48,24,451	6,079,325
(v) सेनानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान	2,21,85,407	1,83,81,057
(vi) सीएसआर का प्रावधान	23,08,794	-
कुल	3,29,03,166	2,52,91,634



टिप्पणी 8 स्थायी परिसंपत्तियां – प्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास					निवल रखाव मूल्य	
	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जोड़ा	वर्ष के दौरान घटाया/समायोजन	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के दौरान घटाया/समायोजन	अर्जित प्रभाव को रखने हेतु समायोजन	31.03.2015 तक कुल मूल्यहास	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार
इमारत (स्थायी पट्टा)	46,700,344	-	-	46,700,344	1,71,35,914	1,489,730	-	-	18,625,644	28,074,700	29,564,430
एयर कंडीशनर एवं कूलर	958,780	-	-	958,780	678,354	120,298	-	36,321	834,973	123,807	280,426
कंप्यूटर एवं उपकरण	5,048,342	1,357,543	56,500	6,349,385	4,532,436	645,791	56,523	48,718	5,170,422	1,178,963	515,906
फिक्सर एवं फिटिंग	3,595,943	13,740	-	3,609,683	2,941,991	419,098	-	-	3,361,089	248,594	653,952
फर्नीचर	1,979,401	630,120	-	2,609,521	1,770,637	168,220	-	23,357	1,962,214	647,307	208,764
कार्यालय उपकरण	1,450,045	86,592	22,147	1,514,490	981,362	202,973	21,040	172,762	1,336,057	178,433	468,683
वाहन	633,563	-	-	633,563	350,013	100,632	-	-	450,645	182,918	283,550
कुल	60,366,418	2,087,995	78,647	62,375,766	28,390,707	3,146,742	77,563	281,158	31,741,044	30,634,722	31,975,711
गत वर्ष	60,073,471	292,947	-	60,366,418	26,056,587	2,334,120	-	-	28,390,707	31,975,711	-



टिप्पणी 9 स्थायी परिसंपत्तियां - अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

परिसम्पत्तियों का ब्यौसा	सकल ब्लॉक				मूल्यहास ब्लॉक						31.03.2015 के अनुसार नेट ब्लॉक	31.03.2014 के अनुसार नेट ब्लॉक	
	01.04.2014 के अनुसार राशि	वर्ष के दौरान जोड़ा	वर्ष के दौरान घटाया	31.03.2015 के अनुसार राशि	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान जोड़ पर मूल्यहास		वर्ष के दौरान घटाव पर मूल्यहास				31.03.2015 के अनुसार राशि अंतशेष
							दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि			
सारांश हिंदी साफ्टवेयर	86,528	-	-	86,528	86,528	-	-	-	-	-	86,528	-	-
एंटी वाइरस पैकेज	74,620	-	-	74,620	74,620	-	-	-	-	-	74,620	-	-
सरवर	335,300	-	-	335,300	335,300	-	-	-	-	-	335,300	-	-
वेबसाइट विकास (अंग्रेजी/हिंदी वेबसाइट)	180,000	-	-	180,000	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-
साफ्टवेयर/डाटा माईग्रेशन	1,658,003	-	-	1,658,003	1,035,927	622,076	-	-	-	-	1,658,003	-	622,076
	2,334,451	-	-	2,334,451	1,712,375	622,076	-	-	-	-	2,334,451	-	622,076
गत वर्ष	2,334,451	-	-	2,334,451	1,090,299	622,076	-	-	-	-	1,712,375	622,076	-



टिप्पणी 10 स्थायी परिसंपत्तियां – अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां विकासाधीन

विवरण	कुल ब्लॉक					
	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार बकाया	जोड़	ब्यापार संयोजन के माध्यम से अधिग्रहण	अन्य समायोजन	निपटान	31 मार्च, 2015 को शेष
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
(क) कंप्यूटर साफ्टवेयर	-			-	-	-
कुल	-	-		-	-	-
गत वर्ष	-	-		-	-	-

टिप्पणी 11 दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
(क) सिक्यूरिटी जमा		
असुरक्षित, अच्छे माने गए	1,66,100	1,66,100
कुल(क)	1,66,100	1,66,100
(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दीर्घकालीन ऋण		
सुरक्षित, अच्छा समझा गया	2,95,51,49,382	2,53,16,06,262
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	24,27,86,134	22,94,98,871
संदिग्ध	-	-
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
कुल(ख)	3,19,79,35,516	2,76,11,05,133
(ग) कार्मिकों हेतु ऋण एवं अग्रिम		
सुरक्षित, (अच्छा समझा गया)	16,93,759	14,63,387
असुरक्षित, (अच्छा समझा गया)	-	-
कुल(ग)	16,93,759	14,63,387
(घ) कार्मिकों को अग्रिम एवं ऋणों से प्राप्त ब्याज एवं देय नहीं	56,58,771	70,83,342
कुल(घ)	56,58,771	70,83,342
कुल (क+ख+ग+घ)	3,20,54,54,146	2,76,98,17,962
कार्मिकों को दीर्घकालिक ऋणों एवं अग्रिम से देय राशि सहित :		
विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
निदेशकगण	-	-
निगम के अन्य अधिकारी *	33,44,743	47,82,947
* ब्याज सहित जो देय नहीं है।		



टिप्पणी 12 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
कुल	-	-

टिप्पणी 13 नकद एवं नकद के बराबर

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
(क) हाथ में नकदी	42,187	15,053
(ख) बैंकों में शेष		
(i) बचत खातों में	8,11,87,808	4,49,98,410
(ii) सावधि जमा में	1,27,00,00,000	1,225,000,000
कुल (ख)	1,35,11,87,808	1,26,99,98,410
कुल (क+ख)	1,35,12,29,995	1,27,00,13,463



टिप्पणी 14 अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
(क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंशकालीन ऋण		
सुरक्षित, अच्छा समझा गया	1,64,56,93,044	1,48,05,68,786
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	12,98,01,816	18,96,79,471
संदिग्ध	20,57,32,146	20,66,12,926
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(20,57,32,146)	(20,66,12,926)
कुल(क)	1,77,54,94,860	1,67,02,48,257
(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋणों पर प्राप्त एवं देय ब्याज		
सुरक्षित, अच्छा समझा गया	4,15,56,893	3,80,29,269
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	9,67,849	11,00,266
संदिग्ध	22,94,30,887	208,133,242
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(22,94,30,887)	(20,81,33,242)
कुल(ख)	4,25,24,742	3,91,29,535
(ग) कार्मिकों को ऋण एवं अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छा समझा गया	12,21,215	10,29,652
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	-	-
कुल(ग)	12,21,215	10,29,652
(घ) कार्मिकों को ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज एवं अदेय राशि	13,79,427	2,77,440
(ङ) कार्मिकों को अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	2,878	36,639
(च) पार्टियों को अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा समझा गया	1,21,17,172	8,80,472
(छ) पूर्वभुगतान व्यय	1,23,266	44,503
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	1,83,28,63,560	1,71,16,46,498
कार्मिकों को अल्पकालिक ऋणों एवं अग्रिम से देय राशि सहित :		
विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निदेशकगण	-	-
निगम के अन्य अधिकारी *	21,05,474	9,59,255
* ब्याज सहित जो देय नहीं है ।		



टिप्पणी 15 अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
प्राप्त ब्याज लेकिन एफडीआर पर देय नहीं	2,74,95,092	2,05,62,025
आयकर से प्राप्य राशि	2,00,948	1,70,948
प्राप्त ब्याज लेकिन बचत खाता/फ्लेक्सी जमा पर देय नहीं	65,926	60,511
कुल	2,77,61,966	2,07,93,484

टिप्पणी 16 प्रचालन से राजस्व

	विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
		रुपए	रुपए
क)	मियादी ऋण पर ब्याज	13,16,10,382	12,98,02,896
ख)	लघु ऋण वित्त पर ब्याज	4,005,671	36,89,615
ग)	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना पर ब्याज	99,35,559	1,02,79,619
घ)	आरआरबी / पीएसयू बैंकों से ऋणों पर ब्याज	70,78,147	69,84,154
ङ)	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना से ऋण पर ब्याज(मा. स.वि.म. से सब्सिडी)	10,34,818	5,05,266
	कुल	15,36,64,577	15,12,61,550

टिप्पणी 17 अन्य आय

	विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
		रुपए	रुपए
क)	सावधि जमा पर ब्याज (सकल) (कर से छूट)	16,38,47,731	12,11,59,051
ख)	बचत बैंक/ सावधि जमा पर ब्याज	17,36,521	15,45,633
ग)	कार्मिकों को अग्रिमों पर ब्याज	2,63,735	3,25,560
घ)	प्राप्त अनुदान (सीएसआर)	-	-
ङ)	सूचना का अधिकार अधिनियम रसीद	128	280
च)	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	14,148	-
छ)	स्टाफ भर्ती की आय	73,000	-



ज)	विविध प्राप्तियां	1,30,603	40,518
	कुल	16,60,65,866	12,30,71,042

टिप्पणी 18 कार्मिकों को लाभ पर व्यय

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
वेतन एवं भत्ते	3,79,34,404	3,68,09,363
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	26,73,368	31,24,370
अखबार प्रतिपूर्ति	7,36,288	727,149
वाहन प्रतिपूर्ति	14,10,805	14,13,369
भविष्य निधि/डीएलआईएस/जीएसएलआईएस के लिए योगदान	34,73,423	33,12,658
उपदान योगदान	14,22,758	20,60,522
छुट्टी नकदीकरण योगदान	72,55,555	2,999,699
कार्य निष्पादन वेतन	16,10,287	32,14,163
अधिवर्षिता लाभ (पेंशन एवं चिकित्सा)	38,04,350	35,72,752
स्टाफ वेलफेयर खर्च	7,72,921	6,53,723
अन्य	1,92,724	3,08,851
कुल	6,12,86,883	5,81,96,619



टिप्पणी 19 अन्य खर्चें

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
भवन रखरखाव खर्च	3,70,728	5,75,681
बिजली	13,01,598	10,35,214
वाहन किराए पर खर्च	5,48,588	15,11,589
कार्यालय रखरखाव खर्च	13,14,243	6,06,870
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	5,80,507	6,25,487
किराया	2,95,272	2,76,722
दर एवं कर	2,57,933	2,37,508
बीमा शुल्क	50,265	58,338
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	107	-
सीएसआर हेतु अंशदान	23,08,794	-
विविध व्यय	33,37,494	27,40,144
विकासात्मक व्यय		
यात्रा व्यय	21,84,527	16,80,292
प्रशिक्षण व्यय (लाभार्थी)	-	9,50,000
ब्याज पर छूट	27,09,945	20,44,246
प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन व्यय	-	3,750
कुल	1,52,60,001	1,23,45,841

टिप्पणी 20 संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए प्रावधान

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	-	
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान- मियादी ऋण	2,48,49,079	2,30,90,913
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान - लघु ऋण वित्त हेतु	1,90,079	2,39,175
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान - आ.म.स.यो.	-	-
कुल	2,50,39,158	2,33,30,088



टिप्पणी 21 पूर्व अवधि के मदों (कुल) का ब्यौरा

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
पूर्व आवधिक मदों का विवरण (कुल)		
पूर्व आवधिक आय	-	(54,473)
पूर्व आवधिक व्यय	115,333	11,270
कुल	115,333	(43,203)

टिप्पणी 22 असाधारण मदें

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
संदिग्ध ऋणों हेतु वापसी का प्रावधान	880,780	1,004,998
संदिग्ध ब्याज हेतु वापसी का प्रावधान	3,741,513	5,246,960
निष्पादन संबंधी वेतन हेतु वापसी का प्रावधान	2,055,000	-
कुल	6,677,293	6,251,958

टिप्पणी 23 लेखा परीक्षकों को भुगतान

विवरण	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षकों के रुप में-सांविधिक लेखा परीक्षा	78,652	67,416
कर लेखा परीक्षा हेतु	6,742	6,742
अन्य सेवाओं के लिए (उपदान ट्रस्ट लेखापरीक्षा)	6,742	6,742
व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
कुल	92,136	80,900

(टिप्पणी : फीस सर्विस टैक्स सहित)



वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय विवरण सहित लेखों पर टिप्पणियां

1) लेखा नीतियां

क) लेखा प्रणाली

वित्तीय विवरणों को सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों का अनुपालन, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 सहित पठित एवं यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013/ कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत प्रथा आधार पर तैयार किया जाता है। निगम सामान्यतः वाणिज्यिक लेखा-प्रणाली को अपनाता है तथा जब तक कि इसके नीचे अन्यथा उल्लेख न किया गया है, आय एवं व्यय के महत्वपूर्ण मदों को प्रोद्भवन पद्धति पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी अधिनियम में परिवर्तन के कारण मूल्यहास हेतु लेखा नीति में निम्नलिखित टिप्पणी(1) ख संबंधी परिवर्तन को छोड़कर गत वर्ष के दौरान अपनाई गई वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु लेखा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख) अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यहास (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष)

अचल परिसम्पत्तियों की लागत को संचित मूल्यहास/परिशोधन, यदि कोई है, घटाकर दिया गया है। लागत में खरीद मूल्य तथा परिसम्पत्ति को इसके लिए निर्दिष्ट प्रयोग में लाने के लिए अन्य प्रत्यक्ष रीति से आरोप्य खर्च शामिल हैं।

ग) मूल्यहास

- i) **अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां-** कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 26.03.2014 के अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है, जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों के मूल्यहास के बाद उपयोगी जीवन निर्धारित है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन को अपनाया है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 के अंतर्गत यथानिर्धारित परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन पर कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2014 से अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों पर लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यहास निकाला गया है।
- ii) तीन वर्ष से अधिक समय की अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को परिशोधित किया गया है।

घ) आय

निगम चैनेलाइजिंग एजेंसियों (रा.चै.ए.) के माध्यम से ऋण प्रदान करता है और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से 2% से लेकर 8% वार्षिक तक ब्याज प्रभारित किया जाता है।

ड) कर्मचारियों के लाभ

- i) उपदान योजना हेतु अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रीमियम अंशदान पर आधारित है, जिसके साथ निगम ने यह व्यवस्था की हुई है। संशोधित ए एस-15 के अनुसार स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, कोई कमी/वृद्धि का लेखा-जोखा लेखा-बही में लिया जाता है।
- ii) निगम में कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी नकदीकरण की एक योजना है जो निगम के कर्मचारियों द्वारा भुनाई जाती है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा नकदीकरण छुट्टियों की गणना व्यय के रूप



- में की गई है तथा एकत्रित नहीं भुनी गई छुट्टी एवं न ली गई 300 दिनों की चिकित्सा छुट्टी के लिए आवश्यक देयता का प्रावधान संशोधित ए एस 15 के अनुसार स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर खाता बहियों में किया गया है ।
- iii) निगम , कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम,1952 के अधीन रखे गए कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान करता है और उसे आय एवं व्यय लेखे को प्रभार्य किया जाता है ।
- iv) वेतन और भत्तों से न मिलाए गए चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत तथा अन्य सीमावर्ती लाभों के लेखे संबंधी दावों की गणना दावे के भुगतान के वर्ष में की गई है ।
- च) अनुमोदित नीति के अनुसार, निगम वर्ष के "व्यय से आय के आधिक्य" के 10% के बराबर की राशि को आकस्मिकताओं के लिए "विशेष रिजर्व निधि" को अंतरित करता है ।
- छ) कंप्यूटर अनुदान के कारण किए गए भुगतान को वास्तविक भुगतान के वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है ।
- ज) प्रचार सामग्री सहित मुद्रण /लेखन -सामग्री पर किए गए व्यय की गणना वास्तविक भुगतान के वर्ष में खर्च के रूप में की जाती है ।
- झ) लेखों पर टिप्पणियों के द्वारा संभाव्य देयता को प्रकट किया जाता है ।
- ञ) तुलन पत्र की तिथि को, जहां 5 वर्ष से पुराने समय से, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के मामलों में अतिदेय राशि से अधिक है एवं सरकारी गारंटी/आश्वासन इत्यादि द्वारा संरक्षित नहीं है, उनके लिए लेखा बहियों में 100% की दर से प्रावधान रखा जाता है ।
- ट) बही खातों में पांच वर्ष से अधिक समय के लिए अतिदेय राशि पर ब्याज देने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के मामले में, तुलनपत्र की तारीख को अतिदेय राशि पर ब्याज हेतु 100% प्रावधान किया जाता है ।
- ठ) बही खाते में आय के रूप में दिए संदिग्ध ऋणों पर ब्याज हेतु प्रावधान किए गए ।
- ड) "ब्याज पर छूट" के रूप में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन**
- निगम ने देय राशियों की समय पर चुकौती करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रोत्साहित करने हेतु "ब्याज पर छूट" के रूप में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की है । वर्ष के दौरान संशोधित मानकों के अनुसार एनएसटीएफडीसी की सभी योजनाओं पर 0.5% की एक समान छूट दी जाती है ।
- ढ) राजस्व संबंधी अनुदान की गणना आय एवं व्यय विवरण में अन्य आय के अंतर्गत अलग से की जाएगी, जिसे समय के साथ संबंधित लागत के साथ मिलाना आवश्यक है ।
- ण) डी.पी.ई. द्वारा दिनांक 26.11.2008 को जारी कार्यालय ज्ञापन में दिए गए मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निष्पादन संबंधी वेतन हेतु प्रावधान किया गया है, जिसमें कार्मिकों द्वारा आहरित किए जा रहे मूल वेतन, निगम के प्रक्षेपित एमओयू श्रेणी एवं कार्मिकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की औसत श्रेणी एवं कार्मिकों पर लागू ग्रेड सीमा संबंधी पैरामीटर शामिल हैं । आगे यह प्रावधान डीपीई द्वारा निर्धारित कर पूर्व लाभ के 5% की समग्र सीमा के अधीन है ।



24. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) (ख एवं ग) के अनुसार निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं उसे वापस व्यय पर आय के आधिक्य में डाल देता है। वर्ष के लिए व्यय पर आय का आधिक्य 22,09,37,543/-रुपए (गत वर्ष 18,37,99,011/-रुपए है) एवं जिसमें से 19,88,43,789/- रुपए (गत वर्ष 16,54,19,110 /- रुपए) सामान्य रिजर्व में अंतरित कर दिए गए तथा 2,20,93,754/- रुपए (गत वर्ष 1,83,79,901/- रुपए) विशेष रिजर्व में तथा तुलन पत्र में रिजर्व एवं अधिशेष शीर्ष में दिखाए गए। .

25. आकस्मिक देयता

	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2014 के अनुसार
	रुपए	रुपए
आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (सीमा तक उपलब्ध नहीं कराया गया)		
आकस्मिक देयताएं *	57,13,997/-रुपए	57,13,997/-रुपए
निगम के पदेन कार्मिक द्वारा किया गया एक दावा जोकि निर्णयाधीन है एवं निगम द्वारा उक्त दावा मंजूर नहीं किया गया है। उनकी मृत्यु होने के कारण इसके लिए खाता बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संचयी आकस्मिक देयता 57,13,997/-रुपए होगी।		
प्रतिबद्धताएं		
पूंजी खाते पर अनुबंध की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी शेष है तथा उपलब्ध नहीं कराई गई है।		
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां #	-	-

26. अतिरिक्त वित्तीय सूचना

सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
	रुपए	रुपए
कच्चा माल	-	-
घटक	-	-
स्पेयर पार्ट	-	-
कुल घटक एवं स्पेयर पार्ट	-	-
पूंजीगत माल	-	-

विदेशी मुद्रा में व्यय:	मुद्रा	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		
		विदेशी मुद्रा में राशि	विनिमय दर	रुपए	विदेशी मुद्रा में राशि	विनिमय दर	रुपए
रायल्टी	-	-	-	-	-	-	-
कैसे करें	-	-	-	-	-	-	-
व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
विदेश यात्रा	-	-	-	-	-	-	-



आयातित एवं देसी मदों की खपत का ब्यौरा	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
	रुपए	%	रुपए	%
आयातित				
कच्चा माल	-	0%	-	0%
घटक	-	0%	-	0%
स्पेयर पार्ट्स	-	0%	-	0%
कुल	-	0%	-	0%

स्वदेशी मदें	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
	रुपए	%	रुपए	%
स्वदेशी मदें				
कच्चा माल	-	0%	-	0%
घटक	-	0%	-	0%
स्पेयर पार्ट्स	-	0%	-	0%
कुल	-	0%	-	0%

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
विदेशी मुद्रा में आय		
एफओबी आधार पर वस्तुओं का निर्यात	-	-
रायल्टी, जाने कैसे करें, व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	-	-
ब्याज	-	-
अन्य आय, उनकी प्रकृति का उल्लेख करें ।	-	-

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
वर्ष के दौरान लाभांश के कारण विदेशी मुद्रा को प्रेषित निधि	-	-
विदेशी मुद्रा में प्रेषित लाभ निधि	-	-
अनिवासी शेयर धारकों की कुल संख्या (जिनको लाभांश विदेशी मुद्रा में प्रेषित किया गया ।)	-	-
उनके द्वारा लिए गए कुल शेयरों की संख्या जिन पर लाभ देय था ।	-	-
संबंधित लाभांश का वर्ष	-	-

27. निगम कर्मचारियों को लाभ पर संशोधित लेखा मानक 15 (आर) कारपोरेशन द्वारा 1 अप्रैल, 2007 से अपनाया गया है । "कार्मिकों को लाभ" लेखा मानक 15 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-



i. निश्चित लाभकारी दायित्व के अथ एवं अंत शेषों का समाधान

(राशि रुपये में)

	उपदान (आंशिक रूप से निधि प्रदत्त)		छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में निश्चित लाभ दायित्व	1,86,88,999	1,60,91,406	1,45,83,880	1,25,09,061
चालू सेवा लागत	10,82,939	10,46,985	11,86,254	9,41,697
ब्याज लागत	15,88,565	12,87,312	12,39,630	10,00,725
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3,76,973)	4,68,135	48,29,671	10,57,277
लाभ भुगतान	(4,84,979)	(2,04,839)	(14,83,657)	(9,24,880)
वर्ष के अंत में निश्चित लाभ दायित्व	2,04,98,551	1,86,88,999	2,03,55,778	1,45,83,880

ii. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के अथ शेष एवं अंत शेष का समाधान

(राशि रुपये में)

	उपदान	
	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	94,18,913	83,18,057
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	8,61,831	7,61,102
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	9,942	(19,192)
नियोक्ता अंशनिधि	5,10,556	5,63,785
लाभ का भुगतान	(4,84,979)	(2,04,839)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,03,16,263	94,18,913
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय	8,71,773	7,41,910

iii. परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के सही मूल्य का समाधान

(राशि रुपये में)

	उपदान (आंशिक रूप से निधि प्रदत्त)		छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	1,03,16,263	94,18,913	-	-
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,04,98,551	1,86,88,999	2,03,55,778	1,45,83,880
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	1,01,82,288	(92,70,086)	(2,03,55,778)	(1,45,83,880)

iv. वर्ष के दौरान व्ययों को मान्यता (वेतन एवं भत्ते शीर्ष के अंतर्गत)

(राशि रुपये में)

	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
चालू सेवा लागत	10,82,939	10,46,985	11,86,254	9,41,697
ब्याज लागत	15,88,565	12,87,312	12,39,630	10,00,725
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	8,61,831	(7,61,102)	-	-
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(3,86,915)	4,87,327	48,29,671	10,57,277
आय/व्यय तालिका में मान्यता प्राप्त कुल लागत का विवरण	14,22,758	20,60,522	72,55,555	29,99,699



v. निवेश ब्यौरा

	31 मार्च, 2015 के अनुसार % निवेश उपदान	
	2014-15	2013-14
भारतीय जीवन बीमा कंपनी जीजीसीए पॉलिसी	50.33%	50.40%

vi बीमांकिक पूर्वानुमान

	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
मृत्यु संख्या तालिका (आईएएलएम)	2006-08		2006-08	
छूट दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित आय दर	9.15%	9.15%	-	-
भविष्य में वेतन बढ़ोत्तरी	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%

उपरोक्त बीमांकिक द्वारा विधिवत प्रमाणित बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

28. लेखामानक- 18 के अंतर्गत प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी का लेन देन संबंधित पार्टियों का ब्यौरा:		
संबंधों का ब्यौरा	संबंधित पार्टियों के नाम	
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	1	श्री रमेश कुमार जी. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	2	श्री पी. उन्नीकृष्णन महाप्रबंधक (वित्त एवं परियोजना) एवं कंपनी सचिव

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों का लेन-देन का विवरण :

1. श्री रमेश कुमार जी., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

	केएमपी चालू वर्ष	केएमपी * गत वर्ष
वेतन एवं भत्ते	14,67,646.00	19,72,476
चिकित्सा	27,451.00	1,34,442
अवकाश यात्रा रियायत		27,828
विदेशी सेवा योगदान	1,92,724.00	3,04,525
अन्य		4,326
कुल	16,87,821.00	24,43,597

*श्री गुर सरूप सूद, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2. श्री पी. उन्नीकृष्णन, महाप्रबंधक (वित्त एवं परियोजना) एवं कंपनी सचिव

	केएमपी चालू वर्ष	केएमपी * गत वर्ष
कुल पारिश्रमिक	17,17,844.00	केएमपी नहीं



29. लेखामानक-20 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु रुपए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु रुपए
प्रति शेयर अर्जन मूल		
वर्ष के लिए व्यय पर आय का आधिक्य	22,09,37,543	18,37,99,011
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	41,91,530	38,28,078
प्रति शेयर समान मूल्य	1000	1000
प्रति शेयर अर्जन- बेसिक	52.71	48.01
मिश्रित		
सरकार से प्राप्त शेयर अनुप्रयोग राशि को मिश्रित प्रभाव देने के पश्चात, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा शेयर होल्डरों हेतु उपलब्ध व्यय पर आय के आधिक्य को विभाजित करते हुए प्रति शेयर मिश्रित अर्जन की गणना की गई है।		
वर्ष के लिए व्यय से आय का आधिक्य	22,09,37,543	18,37,99,011
इक्विटी शेयर की औसत संख्या	42,54,434	38,56,023
प्रति शेयर समान मूल्य	1000	1000
प्रति शेयर अर्जन- मिश्रित	51.93	47.67

30. लेखा मानक-29 के अंतर्गत प्रकटीकरण

प्रावधानों का ब्यौरा

(राशि रुपये में)

विवरण	1 अप्रैल, 2014 को रुपए	जोड़ रुपए	प्रयुक्त रुपए	प्रत्यावर्तित (अपेक्षित न होने के कारण वापस लिया गया) रुपए	31 मार्च, 2015 को रुपए
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	20,66,12,926 (20,76,17,924)	0 (0)	0 (0)	8,80,780 (10,04,998)	20,57,32,146 (20,66,12,926)
संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान	20,81,33,243 (19,00,50,115)	2,50,39,158 (2,33,30,088)		37,41,513 (52,46,960)	22,94,30,888 (20,81,33,243)
अधिवर्षिता लाभ हेतु प्रावधान	1,83,81,057 (1,48,08,305)	38,04,350 (35,72,752)			2,21,85,407 (1,83,81,057)
पीआरपी हेतु प्रावधान	60,79,325 (64,45,001)		8,10,161 (35,79,839)	2055000	32,14,164 (60,79,325)
सीएसआर हेतु प्रावधान	0 (0)	23,08,794			23,08,794
कुल	43,92,06,551 (41,89,21,345)	3,11,52,302 (3,01,17,003)	8,10,161 (35,79,839)	66,77,293 (62,51,958)	46,28,71,399 (43,92,06,551)

टिप्पणी:- कोष्टक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित हैं।



उपरोक्त में से निम्नलिखित राशि एक वर्ष में खर्च करने की उम्मीद कर रहे हैं-

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	रुपए	रुपए
अधिर्वर्षिता लाभ हेतु प्रावधान	2,21,85,407	1,83,81,057
पीआरपी हेतु प्रावधान	48,24,451	60,79,325

31. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत जरूरी प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	रुपए	रुपए
(i) लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्त्ता को अदत्त बकाया मूल राशि	-	-
(ii) लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्त्ता को अदत्त राशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) नियत समय के बाद भुगतान की गई राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज राशि	-	-
(iv) देय ब्याज राशि एवं वर्ष के लिए देय	-	-
(v) लेखा वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज एवं अदत्त शेष राशि	-	-
(vi) अनुवर्ती वर्ष में भी ब्याज एवं देय राशि ऐसी तारीख तक जब उक्त ब्याज की देय राशि वास्तव में भुगतान कर दी गई है।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है, जिन्हें लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को देय माना गया है। जिस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

32. निगम ने वर्ष 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड से एनबीसीसी टावर, प्लॉट नं.15, 5वां तल, हॉल नं.-1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर खरीद लिया है। दिनांक 02.05.2005 से परिसर उपयोग में लाया गया था एवं तदनुसार इसी दिनांक से लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यहास आंका गया है। उपरोक्त परिसर का पंजीकरण कार्य लम्बित है एवं पंजीकरण प्रभार की गणना तब की जाएगी जब निगम द्वारा वास्तविक रूप से उसका भुगतान किया जाएगा तथा लेखा बहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
33. दिनांक 1.1.2007 से एनएसटीएफडीसी के कार्मिकों (कार्यपालकों एवं गैर कार्यपालकों) के वेतनमानों (आईडीए पद्धति) में संशोधन के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिदेशों में मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 30% तक अधिवर्षिता लाभ प्रदान करने का प्रावधान है जिसमें अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ), उपदान, पेंशन एवं अधिवर्षिता के बाद चिकित्सा सुविधाएं शामिल है। मार्गनिदेशों के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इस बारे में अपनी योजनाएं बना सकते हैं। निगम पेंशन एवं चिकित्सा सुविधाओं जैसे अधिवर्षिता के बाद लाभ संबंधी योजनाएं बनाने की प्रक्रिया में है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान 38,04,350/-रुपए का प्रावधान किया है ((गत वर्ष 35,72,752/-रुपए) तथा दिनांक 31.03.2015 तक कुल 2,21,85,407/- रुपए



का प्रावधान है (गत वर्ष 1,83,81,057/- रुपए) ।

34. लेखा नीति 1 (त्र एवं ट) के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय के लिए अतिदेय संदिग्ध ऋणों के असंरक्षित भाग हेतु गत वर्षों के प्रावधानों की तुलना में वर्ष के दौरान किए गए भुगतान के कारण संदिग्ध ऋणों हेतु 8,80,780.00/- रुपए (गत वर्ष 10,04,998.00/-रुपए) एवं संदिग्ध ब्याज के लिए 37,41,513.00/-रुपए (गत वर्ष 52,96,960.00/-रुपए) को वापस लिखने के बाद कुल 2,04,16,865/-रुपए (गत वर्ष 1,70,78,130,00/-रुपए) का प्रावधान किया गया है । जिसमें लेखाबहियों में पांच वर्षों से अधिक समय के लिए अतिदेय ब्याज के लिए 100% प्रावधान भी शामिल किया गया है । लेखाबहियों में पांच वर्षों से अधिक समय के लिए अतिदेय ब्याज रखने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के मामलों में तुलनपत्र की तिथि को अतिदेय ब्याज के लिए 100% प्रावधान भी शामिल किया गया है । संदिग्ध ऋणों हेतु 20,57,32,146.00/-रुपए (गत वर्ष: 20,66,12,926.00 /-रुपए) एवं संदिग्ध ब्याज हेतु 22,94,30,888.00/-रुपए एवं(गत वर्ष: 20,81,33,244.00/-रुपए) का संचयी प्रावधान है ।
35. निदेशक मंडल द्वारा अपनी पहली बोर्ड बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार निगम के पास अवितरित अधिशेष निधियों को इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अल्पावधि जमाओं में रखा जाता है एवं इससे प्राप्त आय को वापस अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं में लगा दिया जाता है ।
36. आयकर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ख) के अधीन कर से छूट प्राप्त है । इसलिए आयकर हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है । परिणामस्वरूप कर हेतु लेखों के लेखा मानक 22 का प्रावधान लागू नहीं होता है ।
37. निगम में "गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां लोक जमा स्वीकृतियां (रिजर्व बैंक) निर्देश 1998" का प्रावधान लागू नहीं होता है।
38. निदेशक मंडल के मतानुसार, परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों को यदि साधारण व्यवसाय में लगाया गया हो तो उनका कार्यान्वित मूल्य कम से कम तुलन-पत्र में दी गई राशि के बराबर होना चाहिए।
39. निगम के बही खातों में 27,09,945/- रुपए (गत वर्ष 20,44,246/- रुपए) की राशि पात्र राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के संबंध में वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई मूलधन राशि पर "ब्याज पर छूट" के रूप में उपलब्ध कराई गई है।
40. वर्ष के दौरान निगम को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को दिए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के रूप में 15,36,64,577/- रुपए (गत वर्ष 15,12,61,550/-रुपए) की आय हुई जिसमें 6,16,29,835/- रुपए (गत वर्ष 5,52,39,942/- रुपए) के ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है।
41. चालू वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी की एक शिक्षा ऋण योजना "आदिवासी शिक्षा ऋण योजना" के अधीन कार्य प्रारंभ हो गया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 07.05.2012 के पत्र संख्या-एफ 1-14/2011 - यू.5 के तहत अनुमोदन के अनुसार संवितरित ऋण के लिए मोरेटोरियम अवधि हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के भुगतान करने की सहमति दी है । वर्ष के दौरान इस कारण 10,35,595/-रुपए (गत वर्ष: 5,05,267/-रुपए) ब्याज सब्सिडी आय के रूप में मानी गई है ।
42. निगम ने अपने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से ऋणों एवं बकाया ब्याज की पुष्टि प्राप्त की ।



43. दिनांक 31.03.2015 के अनुसार प्रावधानों के साथ योजनावार ऋणों की स्थिति:

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
क. ऋण		
विवरण		
I. (क) सुरक्षित * - (अच्छा समझा गया)		
मियादी ऋण	3,89,82,21,835.00	3,28,82,67,763.00
लघु ऋण वित्त	11,46,26,555.00	13,17,62,145.00
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	54,60,34,816.00	56,32,29,968.00
आदिवासी शिक्षा ऋण योजना	4,19,59,220.00	2,89,15,172.00
कुल - I (क)	4,60,08,42,426.00	4,01,21,75,048.00
I. (ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
मियादी ऋण	3,73,12,998.00	3,36,25,421.00
लघु ऋण वित्त	42,799.00	8,77,415.00
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	36,21,604.00	29,79,980.00
आदिवासी शिक्षा ऋण योजना	5,79,493.00	5,46,459.00
कुल- I (ख)	4,15,56,894.00	3,80,29,275.00
II. (क) असुरक्षित *- (सुरक्षित समझा गया)		
मियादी ऋण		
पीएसयू बैंक	11,20,90,975.00	5,60,80,091.00
आरआरबीएस	8,00,23,187.00	7,33,69,884.00
लघु ऋण वित्त		
पीएसयू बैंक	1,50,29,498.00	1,76,88,382.00
आरआरबीएस	16,47,10,194.00	27,14,69,437.00
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना		
पीएसयू बैंक	19,679.00	25,299.00
आरआरबीएस	7,14,417.00	5,45,249.00
कुल- II (क)	37,25,87,950.00	41,91,78,342.00
II. (ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
मियादी ऋण		
पीएसयू बैंक	7,52,989.00	4,00,068.00
आरआरबीएस	0.00	2,44,811.00
लघु ऋण वित्त		
पीएसयू बैंक	1,11,177.00	1,28,085.00
आरआरबीएस	1,03,586.00	3,27,171.00



विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	-	
पीएसयू बैंक	97.00	125.00
आरआरबीएस	0.00	6.00
कुल- I I(ख)	9,67,849.00	11,00,266.00
III. (क) असुरक्षित - (संदिग्ध समझा गया)		
मियादी ऋण	2,02,38,60,74.00	20,32,66,854.00
लघु ऋण वित्त	33,46,072.00	33,46,072.00
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	-	-
कुल-III (क)	20,57,32,146.00	20,66,12,926.00
III. (ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय (संदिग्ध समझा गया)		
मियादी ऋण	22,79,05,608.00	20,67,98,043.00
लघु ऋण वित्त	15,25,280.00	13,35,201.00
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	-	-
कुल-III (ख)	22,94,30,888.00	20,81,33,244.00
IV.(क) घटाइए : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
मियादी ऋण	20,23,86,074.00	20,32,66,854.00
लघु ऋण वित्त	33,46,072.00	33,46,072.00
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	-	-
कुल- IV (क)	20,57,32,146.00	20,66,12,926.00
IV. (ख) घटाइए : संदिग्ध ब्याज प्रोद्भूत एवं देय ब्याज के लिए प्रावधान		
मियादी ऋण	22,79,05,608.00	20,67,98,043.00
लघु ऋण वित्त	15,25,280.00	13,35,201.00
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	-	-
कुल- IV (ख)	22,94,30,888.00	20,81,33,244.00
कुल योग (I (क) + I (ख) + II (क) + II (ख) + III (क) + III (ख) - IV (क) - IV(ख)	5,01,59,55,119.00	4,47,04,82,931.00

* राज्य सरकारी गारंटी/ आश्वासन एवं बैंक गारंटियों द्वारा सुरक्षित ।



44. नीचे दिए गए ऋणों के संवितरित आंकड़े, पुनर्भुगतान एवं रिफंड संचयी आधार पर हैं तथा इस तरह के ऋण खाते भी इसमें शामिल हैं:-

(राशि रुपयों में)

क) ऋण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
क)मियादी ऋण		
संवितरण	10300689643	9048906635
पुनर्भुगतान राशि/वापसी	-6007691941	-5427646411
बट्टे खाते में	-275631	-2,75,631
कुल	4,29,27,22,071	3,62,09,84,593
ख)लघु ऋण वित्त		
संवितरण	767332629	719349081
पुनर्भुगतान राशि/वापसी	-469620310	-295083045
कुल	29,77,12,319	42,42,66,036
ग) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना		
संवितरण	1671948014	1435307014
पुनर्भुगतान राशि /वापसी	-1125179102	-871506498
कुल	54,67,68,912	56,38,00,516
घ) विपणन समर्थन सहायता		
संवितरण	66,70,00,000	66,70,00,000
पुनर्भुगतान राशि/वापसी	-66,70,00,000	-66,70,00,000
कुल	0	0
ड) आदिवासी शिक्षा ऋण योजना		
संवितरण	42604334	29294236
पुनर्भुगतान राशि /वापसी	-645114	-379064
कुल	4,19,59,220	2,89,15,172
कुल योग		
संवितरण	13,44,95,74,620	11,89,98,56,966
पुनर्भुगतान राशि /वापसी	-8,27,01,36,467	-7,26,16,15,018
बट्टे खाते में	-2,75,631	-2,75,631
कुल	5,17,91,62,522	4,63,79,66,317
कुल प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	27,19,55,629	24,72,62,778
	5,45,11,18,151	4,88,52,29,095



45. वर्ष के दौरान निगम ने "विकासात्मक व्यय" शीर्ष के अंतर्गत व्ययित राशि 48,94,472.00/-रुपए (गत वर्ष 46,78,288/-रुपए) दर्शाया है ।
46. वर्षों से विभिन्न राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के पास संचयी संवितरित राशि, जिसके लिए दिनांक 31.03.2015 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र देय है, वह 13225.64 लाख रुपए (गत वर्ष 9340.09 लाख रुपए) है । कंपनी ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के साथ अप्रयुक्त राशि का लेखा समाधान कर लिया है ।
47. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों में अपेक्षित है कि प्रत्येक कंपनी, जो 1000 करोड़ रुपए अथवा अधिक का कारोबार करता है अथवा जिसका निवल मूल्य (नेटवर्थ) 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक हो अथवा जिसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए अथवा अधिक हो, गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च कर सकते हैं । सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 21.10.2014को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किया है, जिसके अनुसार सीएसआर हेतु अव्ययित राशि समाप्त नहीं होगी और उसे संबंधित उद्देश्य के लिए उपयोगिता हेतु आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित की जानी चाहिए । चूंकि दोनों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कंपनी अधिनियम ,2013 की धारा 135 धारा 8 कंपनियों पर लागू है, जो विशेषतः अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से स्थापित है, जो संपूर्ण राशि संबंधित उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं । इस मामले पर डी.पी.ई. से विचार-विमर्श किया गया तथा उनके अनुसार इस संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सहमति से विस्तृत जांच की आवश्यकता है । यद्यपि एनएसटीएफडीसी ने इस मामले को मंत्रालय के समक्ष उठाया है, इस संबंध में स्पष्टीकरण लम्बित है, लेखों में 23,08,794/- रुपए का प्रावधान किया गया है ।
48. आंकड़ों को निकटस्थ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है ।
49. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/ प्रकटीकरण के साथ आवश्यक होने पर पुनः सामूहित/वर्गीकृत किए गए हैं ।

drsfunskd eMy rFlk mudh vlsj l s

ह.
(पी.उन्नीकृष्णन)
महाप्रबंधक (वित्त एवं परि.)
एवं कंपनी सचिव

ह.
(जी.एस.हयंकी)
निदेशक
डीआईएन:06968702

ह.
(रमेश कुमार जी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06991796

"हमारी उसी तारीख की संलग्न लेखा परीक्षित रिपोर्ट के अनुसार"
कृते पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-008982एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2015

(अनुपमा अग्रवाल)
भागीदार
एम.एन. 092707



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	दिनांक 31.03.2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
	रुपए	रुपए
क) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
आय एवं व्यय विवरण के अनुसार व्यय पर आय का आधिक्य	220,937,543	183,799,011
समायोजन हेतु:		
मूल्यहास	3,768,818	2,956,194
प्रतिधारित आय	281,158	-
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(14,041)	
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान/ऋण एवं अग्रिम	20,416,865	17,078,130
कार्यपूजी बदलाब से पहले प्रचालन संबंधी लाभ	245,390,343	203,833,335
समायोजन हेतु:		
व्यापार एवं अन्य प्राप्ति योग्य	(563,821,728)	(114,891,277)
व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य	-	611,212
प्रावधान	-	6,778,632
प्रचालन से उत्पन्न नकद	(318,431,385)	96,331,902
प्रचालन संबंधी गतिविधियों से कुल नकद प्रवाह	(318,431,385)	96,331,902
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	(2,087,995)	(292,947)
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	15,125	
निवेश संबंधी गतिविधियों से कुल नकद प्रवाह	(2,072,870)	(292,947)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
प्राप्त अंश पूंजी	410,000,000	300,000,000
भुगतान किया गया ब्याज	-	-
भुगतान किया गया लाभांश (कर सहित)	-	-
वित्तीय गतिविधियों से कुल नकद प्रवाह	410,000,000	300,000,000
नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	81,216,532	396,038,955
नकद एवं नकदी समकक्ष का अथशेष	1,270,013,463	873,974,508
नकद एवं नकद तुल्य का अंत शेष	1,351,229,995	1,270,013,463

जब कभी भी जरूरी हुआ, उक्त अवधि के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं ।

दिसर्फुंसकद एम्य रफ्लक मुधव व्ल्ज 1 स

ह.
(पी.उन्नीकृष्णन)
महाप्रबंधक (वित्त एवं परि.)
एवं कंपनी सचिव

ह.
(जी.एस.हयंकी)
निदेशक
डीआईएन:06968702

ह.
(रमेश कुमार जी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06991796

"हमारी उसी तारीख की संलग्न लेखा परीक्षित रिपोर्ट के अनुसार"
कृते पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-008982एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2015

(अनुपमा अग्रवाल)
भागीदार
एम.एन. 092707



पीयूष अग्रवाल एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बी-132, आनंद विहार, दिल्ली-110092

फोन: 22164700, 22164800

फैक्स- 91-11-2216 4800

ई-मेल: peeyush@indialiaison.com

ई-मेल: anupma@indialiaison.com

वेबसाईट: <http://www.indialiaison.com>

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के सदस्यों को

असंबद्ध वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने एनएसटीएफडीसी की अनुषंगी असंबद्ध वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ एवं हानि एवं नकद प्रवाह विवरण का समावेश किया गया है एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

असंबद्ध वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के अंतर्गत सम्मिलित मामलों में इन असंबद्ध वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह के बारे में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु समुचित लेखा अभिलेख (रिकार्ड) का रखरखाव भी सम्मिलित है एवं धोखा धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना और उसे रोकना, सही लेखांकन नीतियों का चयन और प्रचालन, उचित निर्णय एवं अनुमान लगाना जो पर्याप्त एवं सही हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव, जिनका प्रचालन लेखांकन रिकार्ड की सटीकता तथा संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से हो रहा था। वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबद्ध हो जिससे सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत हो तथा जो गलत सामग्री से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन असंबद्ध वित्तीय विवरण पर राय प्रकट करने की हमारी जिम्मेदारी है। हमने इस अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा लेखा मानकों और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता संबंधी मामलों का ध्यान रखा है।



हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा की ऐसी योजना बनाए तथा उसे ऐसे निष्पादित करें जिससे कि यह सही आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है।

वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य पाने के लिए लेखा परीक्षा हेतु निष्पादन प्रक्रिया अपनाई जाती है। चयनित प्रक्रिया, लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती है। जिसमें वित्तीय विवरण की अयर्थाथता के जोखिम का आंकलन शामिल होता है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। लेखा परीक्षक, इन जोखिमों का आंकलन करने में वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार करने में सही व उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों, लेकिन कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्ट देने हेतु समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होने और उनके प्रभावी ढंग से काम करने के बारे में राय देने के उद्देश्य से नहीं हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखा परीक्षा के जो प्रमाण हमने प्राप्त किए हैं, वे असंबद्ध वित्तीय विवरण पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

राय

हमारी राय में तथा जहां तक हमें सूचना है एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम में अपेक्षित सूचना उक्त असंबद्ध वित्तीय विवरण में इस प्रकार देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की पुष्टि में, 31 मार्च, 2015 को कंपनी कार्य के मामले में तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं नकद प्रवाह हेतु सही एवं उचित विचार रखते हैं।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") के अनुसार किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश कंपनी के लिए लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में यथा अपेक्षित, हमारी रिपोर्ट है कि:-

(क) हमने लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है ;



- (ख) हमारी राय में और अभी तक लेखा बही की जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी ने विधिक रूप से यथा-अपेक्षित समुचित लेखा बही को बना रखा है ;
- (ग) इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ और हानि और नकदी प्रवाह के विवरण लेखा खातों के अनुसार हैं ;
- (घ) हमारी राय में उक्त असंबद्ध वित्तीय विवरण में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ;
- (ङ.) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।
- (च) कंपनी की नियमावली, 2014 (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में एवं हमें दी गई उचित जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर:
- कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है ।
 - कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के अंतर्गत आवश्यक महत्वपूर्ण संभावित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है ।

कृते पीयूष अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन-008982 एन

ह.
(अनुपमा अग्रवाल)
साझीदार
सदस्यता सं. एम नं.092707

दिनांक 21 जुलाई, 2015
स्थान: नई दिल्ली



परिशिष्ट- "ख"

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन का वित्तीय विवरण तैयार कराने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह अवगत कराया गया है कि उनकी दिनांक 21.07.2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा यह कार्य किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से यह निर्णय लिया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा न की जाए तथा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से

ह.

(डॉ. आशुतोष शर्मा)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV,

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 05.08.2015



एनएसटीएफडीसी की चैनेलाइजिंग एजेंसियों (रा.चै.ए.) की सूची

Ø-1a ,llh dk uke ,oairk	Ø-1a ,llh dk uke ,oairk
<p>1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि0, प्रथम तल,दामोदरम संजीवैया समक्षेमा भवन, मासब टैंक, हैदराबाद-500028 आंध्र प्रदेश दूरभाष नं.040-23390487,23391634 फैक्स सं. 040- 23315236</p>	<p>2. अंडमान व निकोबार राज्य सहकारी बैंक लि0, 98, मौलाना आजाद रोड, पोर्ट ब्लेयर-744101 अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह दूरभाष नं. 03192-233395 फैक्स: 03192-232758</p>
<p>3. अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, सी-सैक्टर ईटानगर-791111 अरुणाचल प्रदेश दूरभाष: 0360-2212672, 2212673 फैक्स सं.-0360-2211786</p>	<p>4. अरुणाचल प्रदेश कोपरेटिव एपैक्स बैंक लिमिटेड डी-सैक्टर,नहरलागुण, इटानगर—791 110 अरुणाचल प्रदेश</p>
<p>5. असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, गणेशगुडी,चरियाली, दिसपुर-781005 गुवाहाटी, असम दूरभाष: 0361-2201521/2209126</p>	<p>6. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लि0, मलयानिल बुद्धकालोनी, पटना-800001 बिहार दूरभाष: 0612-2525612,3098199 फैक्स: 0612-2525612</p>
<p>7. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, बी-9,सैक्टर-5,देवेन्द्र नगर, रायपुर-497007,छत्तीसगढ़ दूरभाष-0771-4248601-615 टेलीफैक्स :0771-4248617</p>	<p>8. दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0, भू- तल, राईट विंग,पुराना डीआईसी कार्यालय ,66-केवीए रोड,विद्युत कार्यालय के पास, अमली, सिलवासा-396230 दादरा एवं नगर हवेली दूरभाष: 0260-2642043,2643152 फैक्स- 0260-2642043</p>
<p>9. गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि0, दूसरी मंजिल, दयानंद स्मृति बिल्डिंग, स्वामी विवेकानंद रोड , पणजी गोवा-403001 दूरभाष: 0832-2426268, 2426949 फैक्स सं.-0832-2420215</p>	<p>10. गुजरात जनजातीय विकास निगम , ग्राउंड फ्लोर, बिरस मुडा भवन सैक्टर ए-10, गांधी नगर-382 010 गुजरात दूरभाष: 079-23253887,23256846 फैक्स- 079-23253890</p>



Ø- la ,llh dk ule ,oairk	Ø- la ,llh dk ule ,oairk
<p>11. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कल्याण भवन, अम्बूशा रिजोर्ट पोस्ट ऑफिस के पास, सोलन-173211 हिमाचल प्रदेश दूरभाष:01792-220671 फैक्स-01792-220058</p>	<p>12. जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग विकास निगम, रमेश मार्केट, शास्त्री नगर, जम्मू -180004 जम्मू व कश्मीर दूरभाष: 0191 -2433229 फैक्स नं. 0191-2433229</p>
<p>13. झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लि०, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची-834008 झारखंड दूरभाष:- 0651-25512398 फैक्स-0651-2551686</p>	<p>14. कर्नाटक महर्षि बाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, 4 नंबर, 12वां मेन, वसंतनगर बैंगलूर-560 052 कर्नाटक दूरभाष: 080-2250012, 22250017, 22250018 फैक्स: - 080 22250051</p>
<p>15. केरल राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, पो.बॉ.नं.523, टाउन हॉल रोड, त्रिचुर-680020 केरल दूरभाष:- 0487-2334131, 2331469, 2331064 फैक्स- 0487-2334131</p>	<p>16. केरल राज्य महिला विकास निगम लि०, टी.सी.-20/2170, बसंत, मनमोहन बंगला के सामने, कोडियार पी.ओ., त्रिवेन्द्रम -695003, केरल दूरभाष:-0471-2334296/2336006, 2727668 फैक्स- 0471-2316006</p>
<p>17. लक्षद्वीप विकास निगम लि०, जी-406, पनमपिल्ली नगर, एर्नाकुलम, कोचीन-682036, लक्षद्वीप दूरभाष-0484-2323448, 2323458, 2310987 फैक्स- 0484-2322924 कवाराती (कार्यालय) फैक्स-04896-263140</p>	<p>18. मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन परिसर-2, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002, मध्य प्रदेश दूरभाष:- 0755-2660672, 2660213 टेलीफैक्स-0755- 2738699</p>
<p>19. मणिपुर जनजातीय विकास निगम लि०, लम्फेरापट, इम्फाल-795004, मणिपुर दूरभाष:- 0385-2310452, 2310293 फैक्स- 0385-2452629</p>	<p>20. मेघालय राज्य कोओपरेटिव एपेक्स बैंक लि०, एम.जी. रोड, शिलोंग- 793 001 मेघालय दूरभाष: 0364-2224160, 2223753, 2224166, फैक्स: 0364-2222026</p>
<p>21. मिजोरम खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, खाटला, आईजोल-796001, मिजोरम दूरभाष:-0389-2342460 फैक्स-0389-2347587</p>	<p>22. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लि०, लाल सौमलियानी बिल्डिंग (टॉप फ्लोर), जरकावत, आईजोल- 796 001, मिजोरम दूरभाष: 0389-2346508, 2343475 फैक्स: 0389-2346508/(पीसीओ-2345526)</p>



Ø- la ,llh dk ule ,oairk	Ø- la ,llh dk ule ,oairk
<p>23. नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लि०, आईडीसी हाऊस, पो.बा., नं. 5 दीमापुर - 797 112 नागालैंड दूरभाष: 03862-230571, 230574 फैक्स: 03862-226473</p>	<p>24. नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लि०, पो.बा. नं.153, दीमापुर-797112 नागालैंड दूरभाष: 03862-228335, 228578, /220702 फैक्स: 03862-230139, 228578, 227040</p>
<p>25. नेशनल कोऑपरेटिव डवलपमेंट कारपोरेशन, 4,सिरि इंस्टीटयूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली-110016, दिल्ली दूरभाष- 011-26567475, 26567026, 26567202 फैक्स:-. 011-26962370</p>	<p>26. नार्थ इस्टर्न डवलपमेंट फाइनांस कारपोरेशन लि०, (एनईडीएफआई) जी.एस.रोड,दिसपुर गुवाहाटी-781006, असम दूरभाष: 0361-222 2200 फैक्स: 0361-2237733-4</p>
<p>27. ओडिशा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लि०, लेविस रोड, भुवनेश्वर-751014, ओडिशा दूरभाष:- 0674-2431798 फैक्स:- 0674-2432107</p>	<p>28. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, नेहरू सहकार भवन,सैंट्रल ब्लॉक,तीसरा तल, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302002, राजस्थान दूरभाष- 0141-2740745, 2740880, 2740544 फैक्स:- 0141-2740880</p>
<p>29. शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास महामंडल मर्यादित, आदिवासी विकास भवन, तृतीय तल, राम गणेश गड़करी चौक, पुराना आगरा रोड, नासिक-422002, महाराष्ट्र दूरभाष:- 0253-2576860, 2571782 फैक्स:- 0253-2571560</p>	<p>30. सिक्किम अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि०, सोनम छेरिंग मार्ग (काजी रोड), गंगटोक-737101, सिक्किम टेलीफैक्स:- 03592-209430</p>
<p>31. तमिलनाडु आदि द्रविड़ हाऊसिंग एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, तमिलनाडु हाऊसिंग शॉपिंग कॉम्प्लैक्स,द्वितीय तल, थिरुमंगलम, चैन्नई- 600101 तमिलनाडु दूरभाष:- 044-26154075, 26152052, 26152063 फैक्स:- 044-26154107</p>	<p>32. ओडिशा जनजातीय विकास सहकारी निगम लि०,, टीडीसीसीओएल बिल्डिंग,रूपाली स्कवेयर,यूनिट IX, भुवनेश्वर-751022, ओडिशा दूरभाष:- 0674-2542475, 2540473 फैक्स:- 0674-2544828</p>
<p>33. त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लि०, सुपारी बागान,कृष्णा नगर, डाकघर लेक चाउमणि, अगरतला-799001, त्रिपुरा दूरभाष:- 0381-2226496, 2226515, 2226543 फैक्स:- 0381-2326512</p>	<p>34. उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, भगत सिंह कॉलानी,अधोईवाला, देहरादून-248001, उत्तराखंड फैक्स:- 0135-2675226</p>



Ø- 1a ,llh dkule ,oairk	Ø- 1a ,llh dkule ,oairk
<p>35. पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम. सीएफ -217/ए/1, सैक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता – 700 064, पश्चिम बंगाल दूरभाष:- 033-40261500/1505/1509-31 फैक्स:- 033-40051233/1234</p>	<p>36. पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लि0, सिधु कनु भवन, के.बी-18,सैक्टर- 111, साल्टलेक, बिधान नगर, कोलकाता-700098, पश्चिम बंगाल दूरभाष:- 033-23351832, 23351918 फैक्स:- 033-23351935</p>
<p>पीएसयू बैंक: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक,विजया बैंक,सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: असम ग्रामीण विकास बैंक, लंग्पी देहंगी ग्रामीण बैंक (असम), वनांचल ग्रामीण बैंक (झारखंड), बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, देना गुजरात ग्रामीण बैंक , झारखंड ग्रामीण बैंक, सैंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक (ओडिशा), मिजोरम ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, नागालैंड ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक (उत्तर प्रदेश), उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक तथा बंगिया विकास ग्रामीण बैंक (पश्चिम बंगाल)।</p>	